मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021

(यथा संशोधित मई, 2022)

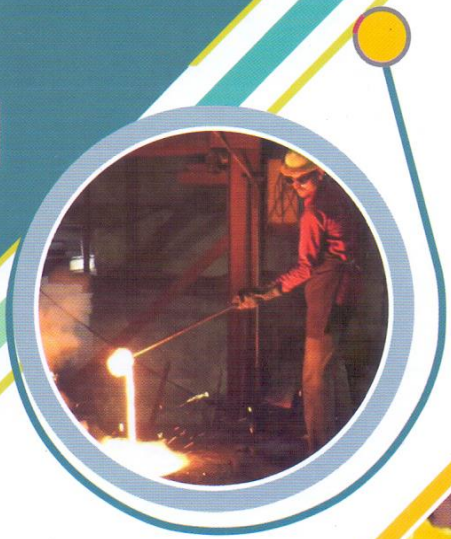

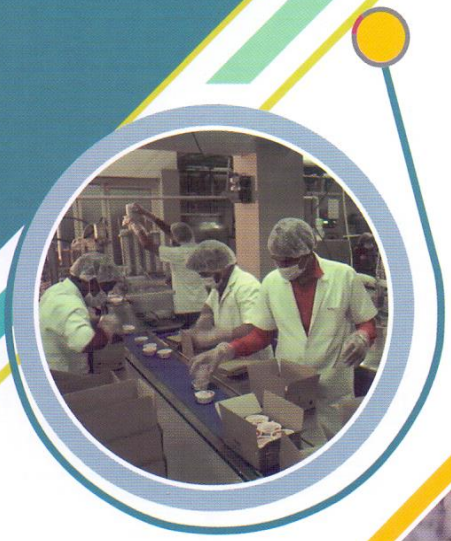

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021

(यथा संशोधित मई, 2022)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021

(यथा संशोधित मई, 2022)

1. **प्रस्तावना :-**

राज्य शासन म.प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2021 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को सहायता/सुविधाओं हेतु किए गए प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" लागू करता है।

2. **योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र :-**

2.1 *यह योजना म.प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2021 की अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी।

2.2 एमएसएमई विकास नीति, 2021 की अधिसूचना की दिनांक या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई इस सोजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी। दिनांक 01.07.2020 या उसके पश्चात परंतु इस एमएसएमई विकास नीति, 2021 की अधिसूचना की दिनांक से पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली ऐसी विनिर्माण एमएसएमई, जिसने यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50 करोड़ रूपयें तक का निवेश किया हो, पहले की संबंधित नीतियों के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी। स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी इकाईयां इस नीति के तहत सहायता/सुविधा हेतु पात्र नहीं होगी।

---

* म.प्र. राजपत्र दिनांक 13 अगस्त, 2021 से म.प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2021 अधिसूचित की गई।

2.3 एमएसएमई विकास नीति, 2021 के लागू होने के पश्चात् नवीन विनिर्माण इकाईयों, जो नीति की अधिसूचना की दिनांक या उसके पश्चात उत्पादन प्रारंभ करेंगी, के लिये पूर्व प्रोत्साहन योजनाओं अंतर्गत सुविधाओं/सहायताओं का विकल्प समाप्त होगा। परंतु नीति की प्रभावशील अवधि में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की विद्यमान एमएसएमई को उनके द्वारा किये गये अतिरिक्त पात्र निवेश पर नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी, यदि ऐसे निवेश के पश्चात इकाई पात्र एमएसएमई श्रेणी में ही रहती हो।

2.4 इस योजना अंतर्गत म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 की प्रभावशील अवधि में अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने, गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने, पेंटेंट प्राप्त करने और ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति एमएसएमई विकास नीति, 2021 की अधिसूचना की दिनांक से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को भी प्राप्त होगी।

2.5 इस योजना अंतर्गत "म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021" की प्रभावशील अवधि में, पॉवरलूम का उन्नयन करने पर वाली पॉवरलूम इकाई को भी पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।

2.6 सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र हेतु सहायता औद्योगिक इकाईयों के समूह को और औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर/मेगा फूड पार्क हेतु सहायता विकासकर्ता को प्रदान की जाएगी।

2.7 पूर्व/प्रचलित नीति(यों) अंतर्गत विनिर्माण एमएसएमई को एमएसएमई विभाग द्वारा सुविधा/सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए, पूर्व की नीति(यों) अंतर्गत प्राप्त/स्वीकृत

प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021" में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

3. परिभाषायें :-

3.1 **नीति** से सामान्य अभिप्रेत है, "म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021"।

3.2 **योजना** से सामान्य अभिप्रेत है, "म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021"।

3.3 **एमएसएमई** से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।

3.4 **इकाई/औद्योगिक इकाई** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई।

3.5 **संयंत्र और मशीनरी में निवेश** से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित, जिसको म.प्र. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया हों) के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में निवेश।

3.6 **भवन में निवेश** से अभिप्रेत है, उत्पादन में उपयोग में आने वाली फेक्टरी भवन व शेड, लेकिन इसमें आवासीय इकाइयाँ शामिल नहीं होंगी।

3.7 **स्थायी पूंजी निवेश** से अभिप्रेत है, भूमि, भवन, संयंत्र व मशीनरी और अन्य स्थिर अस्तिओं में किया गया कुल निवेश।

3.8 **नई औद्योगिक इकाई** से अभिप्रेत है, नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान स्थापित विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई।

3.9 **विद्यमान औद्योगिक इकाई** से अभिप्रेत है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जिसमें एमएसएमई विकास नीति, 2021 की अधिसूचना दिनांक के पूर्व दिनांक

वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा एमएसएमई विकास नीति, 2021 की प्रभावशील अवधि में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया गया हो।

3.10 **वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक** से अभिप्रेत है, इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय की दिनांक अर्थात प्रथम विक्रय के देयक की दिनांक।

3.11 पूर्व में किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश से अभिप्रेत, विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश, जो भी अधिक हो, से होगा।

3.12 पूर्व स्थापित क्षमता से अभिप्रेत, विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सीफिकेशन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के वार्षिक उत्पादन का औसत या विद्यमान औद्योगिक इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के समय स्थापित क्षमता, इसमें से जो भी अधिक हो, से है।

3.13 **जीएसटी** से अभिप्रेत, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में परिभाषित 'राज्य कर' से है।

3.14 **गुणवत्ता प्रमाणीकरण** से अभिप्रेत है, गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु तीसरे पक्ष की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रदाय आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाणपत्र या जेड प्रमाणन या निर्यात के लिये प्रमाणन।

3.15 **पेटेंट** से अभिप्रेत है, पेटेंट अधिनियम, 1970 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) में परिभाषित और या अंतर्निहित पेटेंट।

3.16 **महिला/अजा/अजजा** उद्यमी(यों) द्वारा संचालित इकाई से अभिप्रेत है, महिला/अजा/अजजा वर्ग के व्यक्ति(यों) के शत प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाई।

3.17 **उद्योग संचालनालय** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन संचालनालय।

3.18 **राज्य सरकार/शासन** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग।

3.19 **उद्योग आयुक्त** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन उद्योग संचालनालय, म. प्र. के आयुक्त।

3.20 **जिला व्यापार और उद्योग केंद्र** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन एमएसएमई संचालनालय का जिला स्तरीय कार्यालय।

3.21 **महाप्रबंधक** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक।

3.22 **जिला स्तरीय सहायता समिति** से अभिप्रेत निम्नानुसार गठित समिति से है:-

i.	कलेक्टर	-	अध्यक्ष
ii.	अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM)	-	सदस्य
iii.	महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	-	सदस्य सचिव

<u>टीप</u> :- समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 2 सदस्यों से पूर्ण होगा।

3.23 **राज्य स्तरीय साधिकार समिति** से अभिप्रेत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) के अनुक्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति से है।

3.24 **परीक्षण हेतु आतंरिक समिति** से अभिप्रेत वितरण पूर्व इकाई के दस्तावेजों का परीक्षण करने हेतु गठित उद्योग संचालनालय, म.प्र. की निम्नलिखित आतंरिक समिति से है :-

1. संयुक्त/उप संचालक, वित्तीय सहायता प्रकोष्ठ
2. संयुक्त/उप संचालक, वित्त
3. उप/सहायक संचालक, एमएसएमई प्रकोष्ठ
4. उप/सहायक संचालक, अधोसंरचना विकास प्रकोष्ठ
5. सहायक संचालक, वित्तीय सहायता प्रकोष्ठ

3.25 **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** से तात्पर्य है कृषि/उद्यानिकी उत्पादों का प्रसंस्करण (यंत्र एवं संयंत्र का उपयोग करते हुये) करने उपरांत तैयार ऐसे मूल्य संवर्धित उत्पाद जिनका भौतिक स्वरूप पूर्व से भिन्न होते हुए उनकी वाणिज्यिक उपयोगिता भी हो तथा उनका खाद्य पदार्थो के रूप में उपयोग किया जा सकता हो जैसे - खाने के लिये तैयार (Ready to Eat) अथवा पकाने के लिये तैयार (Ready to Cook) खाद्य पदार्थ, खाद्य एडिटिव्हस्, प्रिजर्वेटिव, रंग एवं सुगंध तथा दुग्ध आधारित मूल्य संवर्धित उत्पाद।

3.26 **रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स** से अभिप्रेत है पहनने योग्य या गैर पहनने योग्य कपड़े, सिले कपड़े, जिनमें से कपड़ों के कम से कम दो सिरों की सिलाई, मशीनरी का उपयोग कर की गयी है।

3.27 **क्लस्टर** से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन नियम एवं प्रबंधन नियम, 2021 के 'परिशिष्ट - डी के बिंदु 2(17)' अनुसार परिभाषित क्लस्टर।

3.28 **विकासक** से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन नियम एवं प्रबंधन नियम, 2021 के 'परिशिष्ट - डी के बिंदु 2(19)' अनुसार परिभाषित विकासक।

3.29 **प्राथमिकता विकासखण्ड** से तात्पर्य है, प्रदेश के ऐसे विकास खण्ड जहाँ कोई ऐसी औद्योगिक इकाई स्थापित न हो, जिसमें यंत्र एवं संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश हुआ हो। इस हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी सूची अनुसार ही प्राथमिकता विकासखण्ड मान्य होंगे।

3.30 **टेक्सटाईल परियोजना** से अभिप्रेत निम्न औद्योगिक इकाईयों से है :-

1. कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग
2. सिल्क रीलिंग एवं ट्वीस्टिंग
3. वूल स्कोरिंग, कॉम्बिंग एवं कालीन उद्योग
4. सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचराइजिंग, क्रिम्पिंग एवं ट्वीस्टिंग
5. स्पिनिंग
6. विस्कोज स्टेपल फाइबर (व्ही.एस.एफ.) एवं विस्कोज फिलॉमेंट यार्न (व्ही.एफ.वाय.)
7. व्हीविंग, निटिंग एवं फेब्रिक कसीदाकारी
8. टेक्नीकल टेक्सटाईल नॉन वूवेन सहित
9. गारमेंट/डिजाईन स्टूडियों/मेड-अप विनिर्माण

10. फाइबर, यार्न, फेब्रिक, गारमेंट एवं मेड-अप का प्रसंस्करण

11. जूट उद्योग

4. विविध :-

4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल औद्योगिक इकाई के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना की बिंदु 11 एवं 12 में दी गई सहायता ऐजेन्सी/संस्था/विकासक को तथा बिंदु 16 में दी गई सहायता पॉवरलूम इकाई को उपलब्ध होगी।

4.2 औद्योगिक इकाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना और 'मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017' (जीएसटी अधिनियम) अंतर्गत पंजीयन कराना सहायता/सुविधा प्राप्त करने के लिये आवश्यक होगा। परंतु किसी पॉवरलूम इकाई को जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन हेतु छूट की पात्रता है, तो वह इस योजना के अंतर्गत बिंदु 14 में उल्लेखित पॉवरलूम उन्नयन के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु उस छूट का लाभ ले सकेंगी।

4.3 किसी भी मामले में, इकाई को रियायतों की कुल राशि इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी। परंतु राज्य शासन के विशेष पैकेज अंतर्गत रियायतों की कुल सीमा पैकेज अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुरूप होगी।

4.4 यदि राज्य शासन की ऐसी एक से अधिक नीतियाँ हैं, जिनके अंतर्गत इकाई प्रोत्साहन/रियायतें प्राप्त कर सकती है, तो इकाई द्वारा किसी अन्य नीति अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायतें लेने/आवेदन करने पर इस योजना अंतर्गत सहायता हेतु अपात्र होगी।

4.5 कोई इकाई, जिसने स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया हो, वह म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत प्रोत्साहन/सहायता का लाभ लेने के लिये पात्र नहीं होगी। परंतु स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा यदि विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया जाता है, तो वे उनके द्वारा किये गये नवीन निवेश पर इस योजना अंतर्गत सहायता हेतु पात्र होंगी।

4.6 हालाँकि, यदि एक इकाई इस योजना के तहत अपनी पात्रता के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय सहायता का लाभ लेना चाहे तो, वह इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकती है कि उसे प्राप्त होने वाला कुल अनुदान उसके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक न हो।

4.7 स्थापित सूक्ष्म स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में न्यूनतम 40 लाख रूपयें या अधिक का अतिरिक्त पात्र निवेश करने पर उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

4.8 स्थापित लघु स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में 100 लाख रूपयें या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

4.9 स्थापित मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के पूर्व यंत्र एवं संयंत्र में किये गये निवेश का 30 प्रतिशत अथवा 10 करोड़ रूपये, जो भी कम हो, करने पर उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

4.10 यदि विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के फलस्वरूप कोई इकाई पात्र एमएसएमई श्रेणी की नहीं रहती है, तो वह इकाई इस योजना के अंतर्गत सहायता/सुविधाओं के लिये पात्र नहीं होगी।

4.11 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन के प्रकरणों में उपरोक्त सुविधा इकाईयों को पूर्व स्थापित क्षमता में कमी नहीं होने की शर्त के साथ प्राप्त होगी।

4.12 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत पात्रता का निर्धारण इकाई द्वारा उसकी विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत उत्पादन दिनांक से पिछले तीन वर्ष में, परंतु विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के पूर्व की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के पश्चात, संयंत्र और मशीनरी में किए गए नवीन निवेश से किया जाएगा।

4.13 इस योजना में उल्लेखित आवेदन की समय-सीमा में जिला स्तरीय सहायता समिति/राज्य स्तरीय साधिकार समिति/उद्योग आयुक्त समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को शिथिल कर सकेगे।

4.14 इकाई/ऐजेन्सी/संस्था/विकासक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को इकाई/पॉवरलूम इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र को उत्पादनरत/कार्यरत/स्थापित रहना अनिवार्य होगा एवं इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर के वणिाज्यिक उत्पादन/प्रारंभ/ स्थापित होने की दिनांक से चार वर्षों तक या सुविधा अवधि में, जो भी बाद में हो, उत्पादनरत/कार्यरत/स्थापित रखा जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर को दी गई

संपूर्ण सहायता राशि भू-राजस्व की बकाया की तरह इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर के स्वामी/संस्था से 12 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जावेगी।

4.15 इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र को जिस पूंजी निवेश के आधार पर सहायता स्वीकृत की जायेगी, उसको वाणिज्यिक उत्पादन/प्रारंभ होने की दिनांक से चार वर्षों तक अच्छी स्थिति में रखना अनिवार्य होगा और इकाई की उत्पादन क्षमता बनाए रखनी होगी।

इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर द्वारा उसके किसी भाग में परिवर्तन तथा किये गये पूंजी निवेश में कमी नहीं की जाएगी।

सहायता प्राप्त इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र द्वारा उसके स्वामित्व में परिवर्तन, उसके वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने/स्थापना की दिनांक से चार वर्षों तक या सुविधा अवधि में, जो भी बाद में हो, उद्योग आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं किया जाएगा। यदि अनुमति प्राप्त करने पर ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत स्थापित इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के स्वामी (स्वामित्व परिवर्तन के पूर्व) के समस्त दायित्व एवं अधिकार इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के नए स्वामी पर लागू होंगे।

4.16 म.प्र. शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 के परिशिष्ट - I में शामिल उद्योग इस योजना अंतर्गत सुविधा/सहायता हेतु अपात्र होंगे।(**परिशिष्ट-1**)

4.17 नगर निगम की अधिसूचित सीमा में केवल राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की गई शासकीय भूमि और मास्टर प्लान में उद्योगों हेतु आरक्षित भूमि में स्थापित इकाईयों को ही योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।

4.18 मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को रोजगार प्रदान करने के संबंध में प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली इकाईयों को एमएसएमई विकास नीति 2019 अंतर्गत प्रावधानित शर्तो तथा प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाईयों को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) अंतर्गत प्रावधानित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

5. समितियों के दायित्व

5.1 जिला स्तरीय सहायता समिति का दायित्व

5.1.1 जिला स्तरीय सहायता समिति का यह दायित्व होगा कि वह यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यम का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त उद्यम से आवेदन प्राप्त होने से म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 के अंतर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन की स्वीकृति तथा वितरण सुनिश्चित करे। साथ ही समिति को बहुमंजिला औद्योगिक परिसर तथा न्यूनतम 5 एकड़ एवं 10 एकड़

से कम क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर के विकास में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति को स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा।

5.1.2 योजना अंतर्गत सभी सहायताओं की प्रथम बार स्वीकृति जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी की जायेगी। उसके बाद मिलने वाली वार्षिक/छः माही किश्तें पात्रतानुसार स्वमेव, बिना पुनः समिति में गए, मिलेंगी।

5.1.3 वेतन अनुदान हेतु रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाई को प्रत्येक छः माही (जिस हेतु सहायता चाही गई है) के पश्चात इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी, जो म.प्र. के स्थाई निवासी है, को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या (माहवार, नामवार सूची एवं प्रदत्त वेतन एवं नियमित कर्मचारी संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज के संलग्न सहित) संबंधी जानकारी सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराना अनिवार्य होंगा।

5.1.4 समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी।

5.1.5 मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि में इकाई/संस्था के स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित अनुलग्नक आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित) भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। साथ ही उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिये जाने संबंधी दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति भी आवेदन के संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5.1.6 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों से इकाई का निरीक्षण तथा दी गई जानकारी का यथासंभव सत्यापन कराया जायेगा। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगें। इस प्रतिवेदन में अन्य सभी सुसंगत बातों के अलावा निम्न बातों, जहॉ लागू हो, का समावेश आवश्यक होगा :-

(i) इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी और भवन पर किया गया निवेश।

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक एवं उत्पादनरत रहने का प्रमाण।

(iii) महिला/अजा/अजजा उद्यमी के स्वामित्व की इकाई होने का प्रमाणन।

(iv) निर्यात की स्थिति में कुल विक्रय एवं किया गया निर्यात।

(v) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली/सार्वजनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में किया गया निवेश।

(vi) औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास पर व्यय।

(vii) गुणवत्ता प्रमाणीकरण/जेड प्रमाणन/निर्यात के लिये प्रमाणन/ पेटेंट प्राप्त करने में इकाई द्वारा किया गया व्यय।

(viii) पॉवरलूम इकाई द्वारा पॉवरलूम को उन्नयन करने के लिए किया गया व्यय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता (यदि कोई हो, तो) एवं कुल परिवर्तित पॉवरलूमों की संख्या।

(ix) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर की स्थापना के प्रकरण में अधोसंरचना व्यय व कार्यरत इकाईयों की जानकारी।

(x) ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुआ व्यय और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने में हुआ व्यय।

(xi) फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किया गया व्यय।

(xii) रेडिमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों से वेतन अनुदान हेतु प्रदत्त रोजगार एवं वेतन की जानकारी।

(xiii) औद्योगिक इकाई द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन की जानकारी।

(xiv) औद्योगिक इकाई में प्रदत्त कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासियों को प्रदत्त रोजगार और उसमें अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी।

5.1.7 समुचित विचारोपरान्त जिला स्तरीय सहायता समिति को यह अधिकार होगा कि वह म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करे। समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर आदेश समिति के सदस्य सचिव

द्वारा स्वीकृत सहायता(सहायताएं) एवं जहां लागू हो, प्रतिवर्ष दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण/मापदण्ड का उल्लेख करते हुये जारी किया जायेगा।

5.1.8 समिति के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आए, जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़े, तो वह स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार लिये गये निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर संबंधित इकाई तथा उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

5.1.9 समिति द्वारा पूर्व की नीति(यों) अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

5.2 राज्य स्तरीय साधिकार समिति का दायित्व

5.2.1 राज्य स्तरीय साधिकार समिति का यह दायित्व होगा कि वह यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली एमएसएमई का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त परियोजना को एमएसएमई विकास नीति, 2021 के अंतर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन (औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति को छोड़कर) का वितरण सुनिश्चित करे। समिति को 10 एकड़ या अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर के विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा।

5.2.2 इस योजना अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाई को अनुदान की पात्रता का निर्धारण राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।

5.2.3 मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाई और 10 एकड़ या अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर के विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन व्यावसायिक उत्पादन दिनांक से 90 दिन के भीतर निवेशक/विकासक को निर्धारित प्रपत्र में उद्योग आयुक्त म.प्र. को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्नानुसार अनुलग्नक प्रस्तुत किये जायेंगे :–

(i) निवेशक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी पर किये गये निवेश के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में **परिशिष्ट-3 एवं 4**)।

(ii) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन इकाई हेतु विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पूर्व यंत्र-संयंत्र में पूंजी निवेश एवं विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में किये गये पूंजी निवेश के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र।

(iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(iv) जीएसटी क्रमांक के संबंध में प्रमाण पत्र ।

(v) स्थापित विद्युत कनेक्शन का दिनांक एवं क्षमता के संबंध में संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी से किये गये अनुबंध की प्रति अथवा प्रथम विद्युत बिल।

(vi) इकाई में आवेदित वर्ष में माहवार कुल रोजगार की संख्या के संबंध में इकाई का नोटराइज्ड शपथ पत्र।

(vii) इकाई का गठन भागीदार/कम्पनी होने पर भागीदार विलेख अथवा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी का प्रमाण पत्र एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हेतु संचालक मण्डल का निर्णय।

(viii) वर्ष में किया गया कुल उत्पादन एवं विक्रय मूल्य। यदि आवेदन आगामी वर्षो के क्लेम हेतु है, तो पूर्वगामी सभी वर्षो के उत्पादन एवं विक्रय के आंकडे मूल्य सहित। तत्संबंध में जीएसटी रिटर्न की प्रति एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र।

(ix) वर्ष में किया गया कुल निर्यात मात्रा एवं मूल्य।

(x) प्रथम उत्पादन वर्ष मान्य करने के संबंध में विकल्प।

(xi) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (प्रथम क्लेम हेतु आवेदन होने की स्थिति में)।

(xii) निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र (**परिशिष्ट-24**)।

(xiii) वित्तीय व्यवस्था का विवरण (स्वयं के स्त्रोतों से अथवा बैंक ऋण) वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति/वितरण पत्र।

5.2.4 उद्योग आयुक्त प्रतिवेदन सहित सहायता संबंधी प्रकरण राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगे।

5.2.5 राज्य स्तरीय साधिकार समिति को समुचित विचारोपरांत यह अधिकार होगा कि वह अनुदान की पात्रता निर्धारण (सुविधाओं की दरें, पात्रता अवधि तथा अनुदान-सीमा) आदेश जारी करें।

5.2.6 राज्य स्तरीय साधिकार समिति की स्वीकृति के पश्चात समिति के सचिव द्वारा वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित प्रपत्र (**परिशिष्ट-23**) में पात्रता निर्धारण आदेश जारी किया जायेगा।

5.2.7 स्वीकृति आदेश में व्यावसायिक उत्पादन दिनांक तक यंत्र एवं संयंत्र में निवेश तथा मूल सहायता राशि एवं अवधि का भी उल्लेख होगा।

5.2.8 राज्य स्तरीय साधिकार समिति के द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार सहायता का प्रदाय उद्योग आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

5.3 परीक्षण हेतु आतंरिक समिति का दायित्व

5.3.1 राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा पात्रता निर्धारण (सुविधाओं की दरें, पात्रता अवधि तथा अनुदान सीमा) पश्चात इकाई को सहायता का प्रदाय उद्योग संचालनालय, म.प्र. की आतंरिक समिति की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा किया जाएगा। यह समिति वित्तीय सहायता के उचित(Fair) वितरण को दृष्टिगत रखेगी।

5.3.2 उद्योग आयुक्त, म.प्र. को प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50 करोड़ रूपयें तक का निवेश करने वाली पात्र एमएसएमई को औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति को स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा।

6. उद्योग विकास अनुदान

6.1 यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली इकाई

6.1.1 नई औद्योगिक इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान 4 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।

6.1.2 रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत के 100% तक सीमित होगी। परंतु फार्मास्यूटिकल इकाईयों हेतु रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत के 200% तक सीमित होगी।

6.1.3 महिला/अजा/अजजा उद्यमी(यों) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2% (चार वर्षों हेतु) **या** अजा/अजजा श्रेणी की महिला उद्यमी(यों) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2.5% (चार वर्षों हेतु) का अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान; और

6.1.4 औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 25% से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने के लिए 2% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा (चार वर्षों हेतु);

या

औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 50% से अधिक निर्यात करने के लिए 3% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा (चार वर्षों हेतु)

6.1.5 उद्योग विकास अनुदान की प्रथम किश्त जिला स्तरीय सहायता समिति की स्वीकृति पश्चात देय होगी और द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ किश्त की देयता इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के क्रमश: एक, दो व तीन वर्ष के पश्चात होगी। महिलाओं/अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई को अतिरिक्त अनुदान की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ किश्त प्राप्ति हेतु इकाई के स्वामित्व सबंधी नवीनतम दस्तावेज महाप्रबंधक को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6.1.6 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को उद्योग विकास अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-2**) में

आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(ii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(iii) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन (निर्धारित प्रारूप में **परिशिष्ट-3 एवं 4**)।

(iv) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों) की छायाप्रतियां

(vi) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी पत्र (यदि इकाई स्थापना हेतु ऋण लिया गया हो) की छायाप्रति

(vii) भारत सरकार की किसी योजना में सहायता हेतु आवेदन दिया हो/ प्राप्त की गई हो, की जानकारी, जहां लागू हो

(viii) महिलाओं/अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई के प्रकरण में स्वामित्व के प्रमाणीकरण का दस्तावेज

6.1.7 निर्यातक इकाई को जिस वर्ष हेतु अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान की सहायता चाहिए, उस वर्ष की समाप्ति दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-5**) में संबंधित महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। प्रथम बार अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात शेष वर्षो हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर वितरित करने के लिए सक्षम होगें। परंतु प्रत्येक बार इकाई को सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-5**) में संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। निर्यात की पुष्टि जीएसटी पोर्टल में अपलोड/से प्राप्त जानकारी, निर्यात संबंधी शिपिंग बिल, बॉण्ड, लेटर ऑफ अण्डरटेकिंग आदि के आधार पर की जाएगी।

6.2 यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक का एवं 50 करोड़ रूपयें तक का निवेश करने वाली इकाई

6.2.1 यह अनुदान 7 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा। सहायता का निर्धारण निम्नानुसार पांच चरणों में किया जाएगा-

6.2.1.1 वार्षिक सहायता = वार्षिक मूल सहायता X सकल आपूर्ति मूल्य गणक X वार्षिक रोजगार गणक X वार्षिक निर्यात गणक X भौगोलिक गणक

6.2.1.2 मूल (Basic) सहायता की गणना निम्नानुसार की जायेगी:-

मूल (Basic) सहायता =

IF(PM&B>1500,150, MIN (IF(PM&B<11, 0.4*PM&B, MIN(4+0.098*(PM&B-10)+ PM&B/ (10.88)* MAX(1-PM&B/1490,0)+ 7.2*(1- PM&B /1500), 0.4* PM&B)), 150))

6.2.1.3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये मूल सहायता = 1.5 X (कंडिका 6.2.1.2 के आधार पर गणित राशि)।

6.2.1.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल सहायता राशि की अधिकतम सीमा किसी भी परिस्थिति में सभी श्रेणी के उद्योगों के लिये रू. 150 करोड़ ही होगी अर्थात यदि कंडिका 6.2.1.2 तथा 6.2.1.3 की गणना का परिणाम रू. 150 करोड़ से अधिक आता है तो भी मूल सहायता रू. 150 करोड़ ही देय योग्य होगी।

6.2.2 वार्षिक मूल सहायता = मूल सहायता/7

यदि इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितम्बर के पूर्व का है, तो उसी वर्ष को प्रथम वर्ष मान्य किया जावेगा किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितम्बर के पश्चात का हो, तो इकाई को उसे प्रथम वर्ष मानने अथवा आगामी वर्ष को प्रथम वर्ष मानने का विकल्प उपलब्ध होगा।

6.2.3 सकल आपूर्ति मूल्य पर आधारित गणक -

<u>सकल आपूर्ति मूल्य गणक</u> = न्यूनतम (75%, वास्तविक सकल आपूर्ति/ पूर्व वर्ष या वर्षो की उच्चतम सकल आपूर्ति)/75%

Gross Supply Value Multiple (GSM) = MIN(75%,AGS/PPYS)/75%

Peak Previous Year Gross Supply (PPYS)

Actual Gross Supply in the Reviewed Year (AGS)

6.2.3.1 अधिकतम सकल आपूर्ति गणक "1" होगा ।

6.2.3.2 प्रथम वर्ष हेतु अधिकतम सकल आपूर्ति गणक "1" होगा बशर्त स्थापित क्षमता का कम से कम 40% उपयोग किया गया हो। स्थापित क्षमता का उत्पादन 40% से कम होने पर सकल आपूर्ति गणक समानुपतिक रूप से "1" से कम रहेगा एवं तदनुसार सहायता की गणना की जायेगी

6.2.3.3 आगामी वर्षो में सकल आपूर्ति राशि को पूर्वगामी वर्षो की उच्चतम सकल आपूर्ति राशि के 75% अथवा उससे अधिक होने पर गणक "1" मान्य किया जाएगा। सकल आपूर्ति राशि में 75% से कमी होने पर अनुपातिक रूप से निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि में कमी की जावेगी।

6.2.3.4 विस्तार अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना में मूल एवं विस्तारित इकाई की कुल उत्पादन क्षमता को स्थापित क्षमता मानते हुये उकत के आधार पर सकल आपूर्ति मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

6.2.4 निर्यात आधारित गणक -

6.2.4.1 निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का न्यूनतम 25% से 75% तक निर्यात करने पर निर्धारित सहायता राशि 1.0 से लेकर अधिकतम 1.2 गुना तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।

निर्यात गणक = यदि [निर्यात उत्पादन मूल्य < 25%, 1, यदि {निर्यात उत्पादन मूल्य < 75%, 1 + 0.2*(निर्यात मूल्य/उत्पादन मूल्य - 25%)/50%, 1.2}]

Export Multiple (EM) = IF [Export Value/Production Value < 25%, 1, IF {Export Value/Production Value < 75%, 1 + 0.2*(Export Value/Production Value - 25%)/50%, 1.2}]

निर्यात मूल्य = निर्यात का मूल्य रू. करोड़ में

उत्पादन मूल्य = उत्पादन का मूल्य रू. करोड़ में

6.2.4.2 यदि निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 25% से कम होता है तो निर्यात गणक "1" होगा। निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 25 से 75% तक होने पर निर्यात गणक का विस्तार "1" से "1.2" होगा। निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 75% से अधिक होने पर भी निर्यात गणक "1.2" ही रहेगा।

6.2.5 रोजगार आधारित गणक -

6.2.5.1 इकाई में 100 से 2500 के बीच रोजगार उपलब्ध होने की स्थिति में सहायता को 1 से 1.5 के बीच अनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाएगा।

रोजगार गणक = अधिकतम [1,न्यूनतम{1.5, (1+(औसत रोजगार-100)*((1.5-1)/(2500-100))}]

Employment Multiple (EYM) = MAX[1,MIN{1.5,(1+(AE-100)*((1.5-1)/(2500-100))}]

समीक्षा वर्ष में औसत कर्मचारी = समीक्षा वर्ष में इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या समीक्षा वर्ष मे औसत कर्मचारी का उत्पत्ति सूत्र = Σ(वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह के लिए माह अंत में कर्मचारी की संख्या) / 12

6.2.5.2 100 कर्मचारियों की संख्यॉ तक रोजगार गणक "1" होगा। 100 से 2500 कर्मचारियों की दशा में रोजगार गणक में अनुपातिक रूप में "1" से "1.5" तक वृद्धि होगी। 2500 एवं अधिक कर्मचारियों की दशा में रोजगार गणक की अधिकतम सीमा "1.5" होगी।

6.2.5.3 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत रोजगार आधारित गणक को किसी भी स्थिति में "1" ही मान्य करते हुये सहायता की गणना की जाएगी।

6.2.6 भौगोलिक गणक -

प्रदेश में स्थित जिलों के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिकता विकास खंड में स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को भौगोलिक गणक '1.2' तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जायेगा एवं जिले में स्थित अन्य विकास खंडों में गणक 1 मान्य किया जावेगा।

6.2.7 फार्मास्यूटिकल एमएसएमई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से प्रथम 2 वर्ष को स्लेक पीरियड के रूप में मान्य किया जाएगा। इस प्रावधान में सहायता की अवधि यथावत 7 वर्ष शर्तो के अध्याधीन होगी।

6.2.8 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को उद्योग विकास अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-6**) में आवेदन योजना के बिंदु क्रमांक 5.2.3 में उल्लेखित संलग्नों सहित उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा।

7. गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता

7.1 संयंत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रूपये तक का निवेश करने वाली इकाईयों द्वारा नीति' की प्रभावशील अवधि में, आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाण पत्र के लिये प्रमाणीकरण हेतु किए गए व्यय का 100%, अधिकतम 5 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

7.2 उक्त बिंदु 7.1 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए

आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रू. 5 लाख तक ही होगी।

7.3 जेड (ZED) प्रमाणन, एमएसएमई की ब्रांड पहचान में सुधार लाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को क्रमशः 80%, 60% और 50% की दर से सहायता प्रदान करती है। राज्य शासन द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के लिए कुल लागत का क्रमशः 10%, 20% व 25% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाईयां इस सहायता हेतु अपात्र होगी।

7.4 नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान केवल निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यदि ऐसा प्रमाणन राज्य की विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु पात्र बनाए। यह सहायता वास्तविक रूप से यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात प्रारंभ करने पर ही प्राप्त होगी। संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाईयां इस सहायता हेतु अपात्र होगी।

7.5 उक्त बिंदु 7.4 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई निर्यात के लिए एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रू. 25 लाख तक ही होगी।

7.6 नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा निर्यात के लिये तैयारी हेतु डब्ल्यूएचओ जीएमपी या यू.एस.-एफ.डी.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये सुविधाओं का सृजन करने में किये गये व्यय का 50%,

अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाईयां इस सहायता हेतु अपात्र होगी।

7.7 उक्त बिंदु 7.6 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा निर्यात के लिए एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रू. 50 लाख तक ही होगी।

7.8 इस सहायता हेतु इकाई को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-7**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज, जहॉं लागू हो, संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो आईएसओ/ बीआयएस/बीईई प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हो।

(iii) जेड प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति।

(iv) जेड प्रमाणीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा मान्य व्यय एवं प्रदत्त सहायता संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति।

(v) निर्यात हेतु प्राप्त किये गये गुणवत्ता प्रमाणन की अभिप्रमाणित प्रति।

(vi) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो निर्यात हेतु गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हो।

(vii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(viii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।

(ix) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(x) भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/किये गये आवेदन (यदि कोई हों तो) की जानकारी।

8. पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति

8.1 औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

8.2 इकाइयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान घरेलु एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार का पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण प्रतिपूर्ति हेतु मान्य होगा।

8.3 उक्त बिंदु 8.1 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रत्येक इकाई के लिए पेटेंट/आईपीआर हेतु रू. 5 लाख तक ही होगी।

8.4 विकसित किये गये उत्पाद/प्रक्रिया, जिसका पेटेंट कराया गया है, का वाणिज्यिक उत्पादन/प्रक्रिया का उपयोग इकाई द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

8.5 सहायता प्राप्त करने हेतु इकाई का मुख्यालय मध्यप्रदेश में होना आवश्यक होगा।

8.6 योजनांतर्गत प्रतिपूर्ति पेटेंट पंजीयन/बौद्धिक सम्पदा अधिकार(आईपीआर) प्राप्ति हेतु किये गये वास्तविक व्यय पर की जावेगी, जिसमें निम्न व्यय मान्य किये जाएंगे -

(i) पेटेंट कराने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के साथ जमा की गई निर्धारित शुल्क की राशि।

(ii) पेटेंट कराए गए उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित संयंत्र एवं साज सज्जा पर व्यय राशि।

(iii) पेटेंट प्रक्रिया अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ की ली गई सलाह/सेवा के लिए भुगतान किये गये व्यय की राशि।

8.7 इस सहायता हेतु इकाई को पेटेण्ट प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप (संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई हेतु **परिशिष्ट-7** और संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई हेतु **परिशिष्ट-8**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) उद्योग आयुक्त/संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा:-

(i) पेटेंट/आईपीआर पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो पेटेंट/आईपीआर प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हों।

(iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(iv) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।

(v) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(vi) भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/किये गये आवेदन (यदि कोई हों तो) की जानकारी।

9. औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता :-

9.1 यदि निवेशक संयंत्र एवं मशीनरी में न्यूनतम रू. 1 करोड़ या उससे अधिक एवं रू. 10 करोड़ तक के निवेश से विनिर्माण उद्यम की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करता है या अविकसित शासकीय भूमि प्राप्त करता है, तो ऐसी इकाइयों को इकाई परिसर तक पानी, सड़क और बिजली के अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम रुपये 25 लाख की सहायता दी जाएगी। संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपयें से अधिक का निवेश करने वाली मध्यम श्रेणी की एमएसएमई इकाई को अधोसंरचना विकास यथा सड़क, बिजली एवं पानी के लिए प्रत्येक हेतु अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक, 50 प्रतिशत की सहायता दी जाएगी। यह सहायता नीति की प्रभावशील अवधि के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों को ही प्राप्त होगी।

9.2 अधोसंरचना विकास के पूर्व उद्योग आयुक्त की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन से तीस दिवस के भीतर निर्णय न होने पर डीम्ड अनुमति मान्य की जाएगी और तदानुसार निवेशक द्वारा उद्योग आयुक्त को सूचित किया जाएगा।

9.3 जिस अधोसंरचना के विकास के व्यय हेतु प्रतिपूर्ति चाही गई है, उसका विकास उद्योग आयुक्त की अनुमति/डीम्ड अनुमति के पश्चात हुआ हो एवं इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक के पश्चात् का नहीं हो।

9.4 इस सुविधा का लाभ उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में किये गये वास्तविक व्यय पर किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किये जायेंगे :-

(i) मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर तक सड़क निर्माण में हुआ व्यय।

(ii) पॉवर स्टेशन/विद्युत केन्द्र से उद्योग परिसर तक विद्युतीकरण में हुआ व्यय।

(iii) जल स्त्रोत/मुख्य पाइप लाईन से उद्योग परिसर तक जल लाने हेतु पाइप लाइन बिछाने में हुआ व्यय।

उक्त कार्यो पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा।

9.5 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को अधोसंरचना व्यय में दिये जाने वाले अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई हेतु **परिशिष्ट-2** और संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई हेतु **परिशिष्ट-9**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) उद्योग आयुक्त/संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(ii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(iii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(iv) उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुमति की छायाप्रति या डीम्ड अनुमति संबंधी सूचना पत्र।

(v) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

10. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता

10.1 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि में, अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए और संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपयें से अधिक का निवेश करने वाली मध्यम श्रेणी की एमएसएमई इकाई को अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकरण तथा जल संरक्षण उपायो की स्थापना पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

10.2 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये (प्रति इकाई) तक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाईयों के समूह (कम से कम 5) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 100 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

10.3 इकाई/समूह द्वारा इस सहायता हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई हेतु **परिशिष्ट-10** और संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई हेतु **परिशिष्ट-9**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) में उद्योग

आयुक्त/संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन। (मदवार व्यय सत्यापन सहित)।

(ii) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण-पत्र।

(iii) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(iv) सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के प्रकरण में समूह गठन संबंधी दस्तावेज/एग्रीमेंट।

(v) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(vi) इकाई/इकाईयों द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति(यां)

(vii) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

11. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर की स्थापना/विकास हेतु सहायता

11.1 नीति की प्रभावशील अवधि में, निजी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर या क्लस्टर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 250 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम 5 एकड़ हो

एवं 10 एकड़ से कम हो या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र न्यूनतम 10000 वर्ग फीट हो और 10 एकड़ या अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर की स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 15 प्रतिशत अधिकतम रू. 5 करोड़ तक सहायता विकासकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।

इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर में न्यूनतम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत होना आवश्यक होगा।

11.2 पॉवरलूम, फार्मास्यूटिकल और परिधान क्षेत्र की इकाईयों के लिये समर्पित औद्योगिक क्षेत्रों/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर की स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 60 प्रतिशत अधिकतम रू. 500 लाख, सहायता के रूप में विकासकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगी बशर्ते इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम 5 एकड़ हो या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र न्यूनतम 10000 वर्ग फीट हो। इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर में न्यूनतम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत होना आवश्यक होगा।

11.3 संस्था/ऐजेन्सी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास की अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-11**) में आवेदन सहपत्रों सहित उद्योग संचालनालय, म. प्र. में प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग आयुक्त के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित शर्तों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु अनुमति जारी की जाएगी:-

11.3.1 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास अनुमति दिनांक से तीन वर्ष के भीतर होना चाहिए।

11.3.2 निर्धारित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न होने की दशा में उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा संबंधित संस्था/ऐजेन्सी को 60 दिवसीय सूचना पत्र जारी किया जाएगा। समाधानकारक उत्तर प्राप्त होने पर औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु छः माह का अतिरिक्त समय उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा प्रदान किया जाएगा।

11.3.3 अतिरिक्त समय में भी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न होने की दशा में या 60 दिवसीय सूचना पत्र का समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाएगी। उक्त निरस्तीकरण के विरूद्ध अपील तीन माह के अंदर प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी।

11.3.4 प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग अपील पर विचार कर गुण दोष के आधार पर अधिकतम छः माह का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेंगे।

11.3.5 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना/विकास हेतु अतिरिक्त समय को मिलाकर कुल समय, संस्था/ऐजेन्सी को औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना/विकास हेतु जारी अनुमति की दिनांक से चार वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।

11.4 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर की स्थापना हेतु, सक्षम स्तर से स्वीकृत अवधि या औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक

परिसर/क्लस्टर के पूर्ण होने का दिनांक जो भी पहले हो, तक स्थापना/विकास में व्यय की गई राशि सहायता हेतु गणना में ली जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर के पूर्ण होने से आशय अधोसंरचना पूर्ण होने के बाद न्यूनतम 5 औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिये जाने से है।

11.5 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर के पूर्ण होने के दिनांक के 90 दिवस के भीतर संस्था/ऐजेन्सी/विकासक द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-12**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) निम्नलिखित सहपत्रों के साथ उद्योग आयुक्त/संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर में स्थापित किन्हीं पांच औद्योगिक इकाइयों के नाम मय स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित।

(ii) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर के क्षेत्रफल को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।

(iii) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर विकसित करने में हुए व्यय (बिंदु 11.4 में दी गई अवधि में) के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(iv) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियों/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।

(v) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति।

11.6 सहायता संबंधी प्रकरण विकसित औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर के क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिपूर्ति हेतु निर्णयार्थ संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

12. फूड पार्क विकसित करने पर विशेष सहायता

12.1 अधोसंरचना विकास सहायता - भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापना की योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 5 करोड़ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना पर देय होगी। यह सहायता टॉप-अप के रूप में देय होगी।

12.2 स्टाप ड्यूटी की सहायता - मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान की गई स्टाप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

12.3 विकसित मेगा फूड पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना के 90 दिवस के भीतर संस्था/ऐजेन्सी/विकासक द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-13**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) निम्नलिखित सहपत्रों के साथ उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) मेगा फूड पार्क के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति, मान्य परियोजना लागत, पूर्णता प्रमाण पत्र, सहायता आदि को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।

(ii) विकसित मेगा फूड पार्क में स्थापित किन्हीं दस औद्योगिक इकाइयों के नाम मय स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित।

(iii) विकसित मेगा फूड पार्क में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(iv) विकसित मेगा फूड पार्क विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियों/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।

(v) विकसित मेगा फूड पार्क के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति।

(vi) भूमि स्थानांतरण में भुगतान की गई स्टाप ड्यूटी को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज।

13. विद्युत खपत सहायता

13.1 खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50 करोड़ रूपये तक का निवेश किया गया हो, को प्रचलित विद्युत टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर रूपयें 1 प्रति युनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। यह छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिये उत्पादन/व्यवसायिक परिचालन की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी। ऑफ-सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकार्ड की गयी डिमांड में से जो भी अधिक होगा, उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जाएगी, यह छूट संबंधित श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को देय होगी।

13.2 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट- 6**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा।

14. मण्डी शुल्क से छूट

14.1 पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10.00 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50.00 करोड़ रूपये तक का निवेश किया गया हो, को संयंत्र एवं

मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या पांच वर्ष की अवधि (इनमें से जो भी कम हो) के लिये मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी।

14.2 शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाईयों को ही होगी, जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगी।

14.3 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-6**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा।

14.4 राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा पात्रता निर्धारण उपरांत मण्डी शुल्क से छूट संबंधी प्रमाण-पत्र (**परिशिष्ट-14**) सचिव, राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा जारी किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 अंतर्गत देय मण्डी शुल्क से छूट हेतु मान्य होगा। इकाई को मण्डी शुल्क से छूट उपलब्ध कराने का अंतिम निर्णय मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 अंतर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का होगा।

15. ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए वित्तीय सहायता

15.1 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत का 50%, अधिकतम 50 हजार रुपये और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने के लिए हुये व्यय का 25%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

15.2 औद्योगिक इकाई द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा नीति की प्रभावशील अवधि में करवाया जाना अनिवार्य होगा और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी का क्रय ऊर्जा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट दिनांक से एक वर्ष के भीतर का होना चाहिये।

15.3 ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के पश्चात् 20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होना आवश्यक होगा।

15.4 इकाई/समूह द्वारा इस सहायता हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा या ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-15**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) में संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा की गई लेखा परीक्षा की अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुए व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(iii) ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी के क्रय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन (यदि क्रय की गई हो)

(iv) ऊर्जा लेखा परीक्षा के समय और ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के पश्चात् ऊर्जा की बचत को दर्शाने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(v) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(vi) इकाई द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(vii) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

16. पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता

16.1 नीति की प्रभावशील अवधि में संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली प्लेन/सेमी ऑटोमेटिक शटल पॉवरलूम को आधुनिक शटललेस लूम में उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता (यदि कोई हो, तो) के समायोजन के पश्चात् शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25%, जो भी कम हो, अधिकतम 10 पावरलूम प्रति इकाई पर राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का बिंदु क्रमांक 4.17 उक्त सहायता हेतु लागू नहीं होगा।

16.2 इस सहायता हेतु पॉवरलूम इकाई को उन्नयन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-16**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) पॉवरलूम के उन्नयन हेतु किये गये व्यय एवं उन्नयन किये गये पॉवरलूमों की संख्या के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति।(यदि प्राप्त की गई हो, तो)।

(iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(iv) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति (यदि जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य हो, तो)

(v) भारत सरकार का अन्य कोई पंजीयन (यदि कोई हो, तो)।

(vi) विद्युत देयक की प्रति।

17. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता

17.1 फार्मास्यूटिकल सेक्टर की संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली नई औद्योगिक इकाई को फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

17.2 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-17**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) में संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन। (मदवार व्यय सत्यापन सहित)।

(ii) फार्मास्यूटिकल लैब के परिप्रेक्ष्य में वांछित पंजीयन/अनुमति/प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(iii) फार्मास्यूटिकल लैब के उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(iv) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(v) इकाई द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(vi) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

18. रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों हेतु वेतन अनुदान

18.1 रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली नवीन इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में न्यूनतम 1.00 करोड़ रूपये का निवेश एवं अधिकतम 10.00 करोड़ रूपये का निवेश किया गया हो और न्यूनतम 25 नियमित कर्मचारी हो, के प्रत्येक नियमित कर्मचारी, जो मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी है, के वेतन का 25%, अधिकतम 2500 रूपये प्रतिमाह, कुल 5 लाख रूपये की वार्षिक सीमा तक, 5 वर्ष तक 'वेतन अनुदान' के रूप में प्रदान किया जाएगा। वेतन अनुदान छः माही आधार पर प्रदान किया जाएगा। अतः जिस छः माही हेतु वेतन अनुदान चाहिए, उसके समाप्त होने के 90 दिवस के भीतर वेतन संबंधी प्रामाणिक जानकारी महाप्रबंधक को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

18.2 प्रथम बार वेतन अनुदान हेतु इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-18**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) इकाई की उत्पादन दिनांक से प्रथम छः माह में नियोक्ता द्वारा इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी, जो म. प्र. के स्थाई निवासी है, को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि हेतु दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(iii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।

(iv) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(v) इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि हेतु दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति।

(vi) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों) की छायाप्रतियां

18.3 किसी इकाई को जिला स्तरीय सहायता समिति से प्रथम बार वेतन अनुदान स्वीकृत होने के बाद महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे संपूर्ण पात्रता अवधि में वितरित करने के लिए सक्षम होगें अर्थात किसी इकाई को प्रथम बार समिति द्वारा वेतन अनुदान स्वीकृत होने पर उसके अनुदान प्रकरण में शेष छः माहियों हेतु किसी छः माही में इकाई में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत म.प्र. के स्थायी निवासियों को प्रदत्त वेतन संबंधी प्रामाणिक जानकारी और इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी, इकाई द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उस छः माही हेतु वेतन अनुदान का वितरण महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

19. रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली नवीन एमएसएमई इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10.00 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया गया हो, को विशेष पैकेज की पात्रता होगी।

19.1 विशेष पैकेज अंतर्गत निम्नानुसार सहायता/सुविधाएं प्रदत्त की जाएगी :-

19.1.1 ब्याज अनुदान :- भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (ATUFs) अंतर्गत मान्य मशीनरी पर वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से लिये गये टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्षो के लिये प्रदान किया जाएगा।

19.1.2 प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति - टेक्सटाइल परियोजनाओं को तकनीकी एवं कुशल कर्मचारियो की आवश्यकता के दृष्टिगत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिपूर्ति की सहायता प्रति नवीन कर्मचारी रू. 13000 पांच वर्षों के लिये दी जावेगी। यह सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों को प्राप्त होगी।

19.1.3 रोजगार सृजन अनुदान - नियोक्ता द्वारा इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम आठ वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रू. 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। सहायता अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी। यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी। इसका आशय यह है कि आठवें वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी। उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी:-

क्र.	**समयावधि**	**परियोजना में उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत**
1	1 वर्ष के अन्दर	50%
2	3 वर्ष के अन्दर	75%
3	5 वर्ष के अन्दर	90%

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध करायी जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जावेगी।

19.1.4 स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति - ऐसी इकाईयां जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के पट्टे पर भूमि लेती है, उन्हें पट्टे की भूमि पर प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

19.1.5 विद्युत शुल्क पर छूट :- सभी पात्र नवीन इकाईयों को विद्युत कनेक्शन लेने के दिनांक से 7 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से छूट।

19.1.6 विद्युत टैरिफ में रियायत :- नवीन विद्युत कनेक्शन पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षो हेतु 5 रूपये प्रति युनिट की स्थिर दर से विद्युत आपूर्ति।

19.1.7 उक्त बिंदुओं, 19.1.1 से 19.1.6 तक, में उल्लेखित सुविधाएं केवल औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर में स्थापित इकाईयों को ही प्राप्त होगी।

19.2 इकाई द्वारा बिंदु 19.1.1 में उल्लेखित सहायता हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट-6)** में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र **(परिशिष्ट 24)** उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा। टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था द्वारा **परिशिष्ट-19** अनुसार प्रपत्र में टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु क्लेम उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा अथवा इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा **परिशिष्ट-19** अनुसार प्रपत्र में टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था से क्लेम प्राप्त कर उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा। क्लेम पत्रक जिस त्रैमास से संबंधित है,

उस त्रैमास की समाप्ति के 90 दिवस के भीतर उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा।

19.3 इकाई द्वारा बिंदु 19.1.2 एवं 19.1.3 में उल्लेखित सहायता हेतु इकाई की स्थापना के एक वर्ष पश्चात की दिनांक से 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-20**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) में उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा:-

(i) इकाई में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु विगत एक वर्ष में व्यय की गई राशि की पुष्टि हेतु दस्तावेजों की छायाप्रति

(ii) विगत एक वर्ष में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त इकाई में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों की स्वप्रमाणित सूची, जिसमें प्रशिक्षण संस्था एवं प्रशिक्षण अवधि का उल्लेख हो।

(iii) विगत एक वर्ष में नवनियुक्त कर्मचारियों की स्वप्रमाणित सूची, जिनके लिये रोजगार सृजन अनुदान चाहा गया है एवं कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध कराए गए रोजगार के औसत प्रतिशत को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(iv) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(v) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।

(vi) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(vii) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों) की छायाप्रतियां

19.4 इकाई द्वारा बिंदु 19.1.4, 19.1.5 एवं 19.1.6 में उल्लेखित सहायता हेतु की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-6**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-24**) में उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) औद्योगिक क्षेत्र में पट्टे पर भूमि पर प्रभारित स्टांप ड्यूटी एवं दिये गये पंजीयन शुल्क संबंधी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति

(ii) इकाई को नवीन विद्युत कनेक्शन प्राप्त होने से संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति

(iii) इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक संबंधी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति

20. टेक्सटाईल इकाई को ब्याज अनुदान

20.1 नवीन टेक्सटाईल इकाई (विनिर्माण श्रेणी की एमएसएमई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10.00 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50.00 करोड़ रूपये तक का निवेश किया गया हो) को संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (ATUF) अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से निम्नानुसार ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा :-

क्र.	इकाई का प्रकार	ब्याज अनुदान
1	रू. 25 करोड़ तक के स्थाई पूंजी निवेश वाली नवीन इकाई के लिए	5 वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की दर से, रू. 5 करोड़ की सीमा तक।
2	रू. 25 करोड़ से अधिक के स्थाई पूंजी निवेश वाली नवीन इकाई के लिए **या** विद्यमान स्वतंत्र इकाई जिसके द्वारा विस्तार/ शवलीकरण हेतु अमेण्डेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में विद्यमान स्थाई पूंजी निवेश का कम से कम 30 प्रतिशत (जो रू. 25 करोड़ से कम नहीं हो) या रू. 50 करोड़, जो भी कम हो नवीन निवेश किया हो	5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की दर से
3	नवीन कम्पोजिट इकाई* जिसके द्वारा रू. 25 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश किया गया हो **या** विद्यमान स्वतंत्र इकाई के शवलीकरण से निर्मित कम्पोजिट इकाई	5 वर्ष के लिए 7 प्रतिशत की दर से

* किसी इकाई को बिना उसके कार्यस्थल के दृष्टिगत (कार्यस्थल मध्यप्रदेश राज्य के अंदर एक ही स्थान पर या विभिन्न स्थानों पर हो सकता है) कम्पोजिट इकाई अंतर्गत श्रेणीकरण हेतु निम्नलिखित में से कोई एक गतिविधि करनी होगी और डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के इनपुट के रूप में प्राथमिक उत्पाद (जैसे यार्न) का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग करना होगा :

  - ✓ धागे और प्रसंस्करण गतिविधियों का उपयोग करते हुए कपड़ा बनाना (वीविंग/निटिंग और प्रसंस्करण गतिविधियां)
  - ✓ कपड़ा प्रसंस्करण और विनिर्माण (प्रसंस्करण और तैयार वस्त्र)
  - ✓ धागा विनिर्माण - धागे का उपयोग करते हुए परिधान (Apparel) विनिर्माण, कपड़ों का उपयोग करते हुए प्रसंस्करण और परिधान विनिर्माण (स्पिनिंग-वीविंग/निटिंग-प्रोसेसिंग और गारमेंटिंग)
  - ✓ मेड-अप आर्टिकल्स

20.2 इकाई द्वारा ब्याज अनुदान हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट-6)** में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र **(परिशिष्ट 24)** उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा। टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था द्वारा **परिशिष्ट-19** अनुसार प्रपत्र में टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु क्लेम उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा अथवा इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा **परिशिष्ट-19** अनुसार प्रपत्र में टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु क्लेम टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था से प्राप्त कर उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा। क्लेम पत्रक जिस त्रैमास से संबंधित है, उस त्रैमास की समाप्ति के 90 दिवस के भीतर उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा।

21. बीमार इकाइयों का पुनर्जीवन

21.1 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली इकाईयों हेतु सहायता :-

21.1.1 बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति (Empowered Committee) द्वारा स्वीकृत पैकेज अनुसार बीमार/बंद इकाई को सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

21.1.2 बीमार इकाई द्वारा पुनर्वास पैकेज हेतु निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट-21)** में आवेदन उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, म.प्र. को प्रस्तुत किया जायेगा।

21.2 संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं अधिकतम 50 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली इकाईयों हेतु सहायता :-

21.2.1 प्रबंधन में परिवर्तन के बाद बंद इकाई को पुनः आरंभ करने पर पिछली स्वीकृत सहायता निरंतर जारी रखने का लाभ प्रदान किया जाएगा, यदि इकाई में उत्पादन 1 वर्ष से अधिक समय तक बंद था। इकाई को उतनी ही अतिरिक्त अवधि के लिए सहायता निरंतर प्रदान की जाएगी, जितनी अवधि में उत्पादन बंद था।

21.2.2 इकाई के बंद होने की तिथि तक, विभागों/संस्थानों को देय बकाया राशि पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा, अगर बकाया अधिग्रहण से 3 महीने के भीतर एकमुश्त चुकाया जाएगा, अन्यथा इस तरह के बकाया को 6 अर्धवार्षिकीय किश्तों में चुकाने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

21.2.3 बीमार इकाई द्वारा पुनर्वास पैकेज हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-22**) में आवेदन उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, म.प्र. को प्रस्तुत किया जायेगा।

21.2.4 समुचित विचारोंपरांत मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति (Empowered Committee) को यह अधिकार होगा कि वह उक्त बिंदुओं 21.2.1 एवं 21.2.2 में उल्लेखित सुविधाएं स्वीकृत करने हेतु आदेश जारी करें।

21.3 इस योजना के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित अपात्र उद्योग उक्त बिंदु 21.1 एवं 21.2 में प्रावधानित सुविधाओं/प्रोत्साहनों के लिए पात्र नहीं होंगे।

21.4 यदि संयंत्र और मशीनरी में नवीन निवेश इस योजना के बिंदुओ 4.7 या 4.8 या 4.9 के अनुसार है और इकाई योजना के बिंदु 4.10 अंतर्गत अपात्र नहीं है, तो इस योजना के तहत पात्रतानुसार सुविधाएं इकाई को नई इकाई के रूप में प्रदान की जाएंगी।

22. प्राप्त आवेदनों में सक्षम समिति के अनुमोदन उपरांत उद्योग आयुक्त/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सहायता वितरण आदेश जारी किया जायेगा और उपलब्ध आवंटन अनुसार इकाई को पात्रतानुसार देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

23. यंत्र एवं संयंत्र में रूपये 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ तक पूंजी निवेश वाली ऐसी स्थापित इकाईयां, जिन्हें उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित, 2020) तथा नीति अंतर्गत सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये लागू मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (संशोधन सहित) अंतर्गत राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा अधिसूचना जारी होने के दिनांक तक पात्रता अनुसार सुविधायें स्वीकृत की जा चुकी हो उन्हें पूर्वानुसार निर्धारित समयावधि हेतु

सुविधाओं का लाभ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

24. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया –

24.1 इकाई/ऐजेन्सी/संस्था/विकासक को वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र समय सीमा में उद्योग आयुक्त/संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा।

24.2 सक्षम समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता का प्रदाय इकाई/विकासक को ई-पेमेंट के माध्यम से इकाई/विकासक के बैंक खाते में किया जायेगा।

24.3 इकाई/विकासक के प्रकरण में ई-पेमेंट की पावती ही एमएसएमई प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र होगा।

24.4 सक्षम समिति द्वारा प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति उपरांत बजट में प्रावधान के अभाव में अथवा किसी भी अन्य कारण से ई-पेमेंट वितरण में विलम्ब होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

25. अपील

25.1 जिला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 90 दिवस के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को उद्योग आयुक्त गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेंगे। उद्योग आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को प्रमुख सचिव/सचिव गुण-दोष के

आधार पर शिथिल कर सकेंगे। प्रमुख सचिव/सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

25.2 राज्य स्तरीय साधिकार समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील ''निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति'' (सीसीआईपी) के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को सीसीआईपी गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेगी।

26. योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन उद्योग आयुक्त द्वारा दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस योजना एवं म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 की भाषा में विरोधाभास होने पर मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

27. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन

योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

27.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा

27.2 इस योजना के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा

28. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

29. * फर्नीचर एवं टॉयस् एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायता

फर्नीचर एवं टॉय एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की पात्र विनिर्माण

---

* म.प्र. शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आदेश क्रमांक 354/2022/अ-तेहत्तर, दिनांक 18.05.2022 से जोड़ा गया।

इकाईयों को निम्नानुसार सुविधाओं का लाभ शर्तो के अध्याधीन प्राप्त होगा :-

29.1 उद्योग विकास अनुदान - स्थिर संपत्तियों जैसे प्लांट एवं मशीनरी तथा भवन पर अधिकतम 40% देय होगी। शेष नियम एवं प्रक्रिया मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 अनुसार होगी।

29.2 ब्याज अनुदान - परियोजना हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये टर्म लोन पर 02 प्रतिशत की दर से 05 वर्षो के लिये ब्याज अनुदान, अधिकतम सीमा रू. 100 लाख प्रतिवर्ष।

29.3 विद्युत शुल्क में छूट - सभी पात्र नवीन इकाईयों. को उच्च दाब विद्युत संयोजन दिनांक से 5 वर्ष के लिये 100% विद्युत शुल्क से छूट।

29.4 विद्युत टैरिफ में सहायता - मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रचलित विद्युत टैरिफ में उच्च दाब विद्युत उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षो हेतु रूपये 1 प्रति युनिट की सहायता। उक्त सहायता मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा उसके रिटेल टैरिफ आर्डर में दी जा रही रियायत (यदि कोई हो, तो) के अतिरिक्त होगी एवं विभाग द्वारा अपने बजट से वहन की जावेगी।

29.5 स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति - परियोजना क्रियान्वयन हेतु भूमि/बैंक ऋण दस्तावेजों पर चुकाये गये पंजीयन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी पर 50% प्रतिपूर्ति।

29.6 गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर प्रोत्साहन - केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन से अधिमान्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण संस्थानों से अधिकतम 4 गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर 25% लागत प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा रू. 10 लाख समस्त प्रमाणपत्रों के लिये उपलब्ध कराई जावेगी अर्थात एक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर अधिकतम सहायता रू. 2.50 लाख तक सीमित होगी।

29.7 कौशल विकास एवं प्रशिक्षण पर व्यय की प्रतिपूर्ति - मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी को स्किलगेप प्रशिक्षण हेतु इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के प्रथम 3 वर्षों में प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों के लिये प्रति कर्मचारी रू. 10,000 अधिकतम 200 कर्मचारियों की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जावेगी।

29.8 रोजगार सृजन अनुदान - नियोक्ता द्वारा इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम तीन वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रू. 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। सहायता अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी एवं अधिकतम 200 कर्मचारियों को ही दी जावेगी। यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी। इसका आशय यह है कि तीसरे वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी। उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी:-

क्र.	समयावधि	इकाई उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
1.	1 वर्ष के अन्दर	50%
2.	2 वर्ष के अन्दर	75%
3.	3 वर्ष के अन्दर	90%

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध करायी जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जावेगी।

29.9 निर्यात सहायता - इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों के कुल वार्षिक विक्रय का 25% से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने पर पात्र उद्योग विकास अनुदान का 1.25 तक गणक एवं 50% से अधिक निर्यात करने पर 1.50 गणक तक लाभ प्राप्त हो सकेगा अर्थात 25% से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने वाली इकाई को मूल उद्योग विकास अनुदान के साथ 10% अतिरिक्त तथा 50% से अधिक निर्यात करने पर मूल उद्योग विकास अनुदान के साथ 20% अतिरिक्त सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त हो सकेगा। निर्यात सहायता इकाई में वाणज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से अधिकतम 4 वर्षों के लिये देय होगी। स्पष्ट किया जाता है कि किसी एक वर्ष में निर्यात की निर्धारित सीमा से कम निर्यात करने पर उस वित्तीय वर्ष में निर्यात सहायता का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

29.10 प्रोडक्ट डिजाइन/टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर पर किये गये व्यय/शुल्क की प्रतिपूर्ति- प्रति प्रोडक्ट डिजाइन/टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर हेतु 50% अथवा अधिकतम रू. 5 लाख। यह सुविधा अधिकतम 4 डिजाइन एवं टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर के लिये उपलब्ध होगी। प्रोडक्ट डिजाइन/टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर भारत सरकार/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशलाओं (NABL accredited)/संस्थानों से प्रमाणित होना चाहिए। विदेशी संस्थानों से लिये गये प्रोडक्ट डिजाइन एवं टेक्नॉलॉजी पर भारत सरकार के दिशा निर्देश लागू होंगे।

29.11 पेटेंट एवं डिजाइन पंजीयन प्राप्त करने के लिये व्यय की प्रतिपूर्ति - प्रदेश में ही निर्मित उत्पाद पर इकाईयों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट एवं डिजाइन पंजीयन प्राप्त करने पर किये गये व्यय का 100%, अधिकतम 5 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति।

29.12 अपशिष्ट प्रबंधन/हरित पहल के लिये व्यय की प्रतिपूर्ति -

29.12.1 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाईयों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र

(ETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50%, अधिकतम रू. 25 लाख की सहायता।

29.12.2 संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाईयों को अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकरण तथा जल संरक्षण उपायों की स्थापना पर किये गये व्यय का 50%, अधिकतम रू. 100 लाख की सहायता।

29.12.3 औद्योगिक एमएसएमई इकाईयों के समूह (कम से कम 10) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50%, अधिकतम रू. 200 लाख की सहायता।

मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 के अनुक्रम में फर्नीचर एवं टॉयस् एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों हेतु विशिष्ट वित्तीय सहायता एवं इस हेतु निहित प्रक्रिया, मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 के अनुसार होगी। इन विशिष्ट वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली इकाईयों को मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 अंतर्गत अन्य प्रावधानित सुविधाओं के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग में कार्य की व्यवहारिकता के दृष्टिगत रखते हुए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विषयांकित विशिष्ट वित्तीय सुविधाओं का लाभ इस आशय का आदेश जारी होने के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की फर्नीचर एवं टॉय एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों को प्राप्त होगा।

परिशिष्ट-1

अपात्र उद्योगों की सूची

1. व्यापार और सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ
2. बीयर और शराब, जिसमें एल्कोहल है
3. सभी प्रकार के पान मसाला और गुटखा विनिर्माण
4. तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण
5. समस्त प्रकार के पॉलिथीन बैग और 40 माइक्रोन या उससे कम मोटाई के प्लास्टिक बैग का विनिर्माण
6. केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रम द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयाँ
7. स्टोन क्रशर
8. खनिजों की पिसाई, केल्सिनेशन (गिट्टी से बनाई जाने वाली कृत्रिम रेत के निर्माण को छोड़कर)
9. राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम का अशोधी/चूककर्ता
10. सभी प्रकार की खनन गतिविधियॉ (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हो)
11. लकड़ी के कोयले (चारकोल) का निर्माण
12. सभी प्रकार के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट (ऐसी खाद्य तेल एक्पैलर इकाईयॉ, जहॉ संयंत्र और मशीनरी में निवेश रू. 1 करोड़ से अधिक नहीं है, को छोड़कर)

13. समस्त प्रकार के तेलों की रिफायनरी

14. सीमेंट/क्लिंकर विनिर्माण इकाईयाँ

15. सभी प्रकार के प्रकाशन और मुद्रण प्रक्रिया

16. आरा मिल और लकड़ी की प्लेनिंग

17. लोहे/स्टील स्क्रेप को दबाकर इसे ब्लॉकों एवं किसी अन्य किसी आकार में बदलना

18. विद्युत उत्पादक इकाईयाँ

19. पैकेज पीने का पानी

20. सॉर्टेक्स प्लांट और फसलों/अनाज की सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/सफाई *(परंतु ऐसा सॉर्टेक्स प्लांट (ग्रेडिंग+सफाई सहित) जो धान मिलिंग इकाई, जो मुख्यतः धान मिलिंग का कार्य करती है, के परिसर में स्थापित किया गया हो, को छोड़कर)

21. समस्त प्रकार के गैसयुक्त (Aerated)/ कार्बोनेटेड पेय

22. बूचड़खाना और मांस पर आधारित उद्योग

23. विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (SEZ) में स्थापित इकाईयां

24. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 के संदर्भ में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई उद्योग

---

* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आदेश क्र. एफ 5-1/2019/अ-तेहत्तर, दिनांक 02.12.2021 से जोड़ा गया एवं अधिसूचना दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 से प्रभावी।

परिशिष्ट-2

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिये सहायता हेतु आवेदन (यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ तक का निवेश करने वाली इकाई हेतु) का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

....., म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास की स्थापना के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03. अ/ इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का नाम :

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी और भवन में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) :

क्र.	**मद**	**निवेश (रूपये में)**
(i)	संयंत्र व मशीनरी	
(ii)	भवन	

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -
(ii) अजा -
(iii) अजजा -
(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकीउन्नयन होने पर :

विवरण	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत	योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)
संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में)			

रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता (i) .....(उत्पाद)..... (ii) .....(उत्पाद)..... (iii) .....(उत्पाद)..... (iv) .....(उत्पाद).....			

15. चाही गई सहायता का विवरण

(अ) उद्योग विकास अनुदान (नियम-6)

(i) प्रथम विक्रय के देयक का दिनांक (छायाप्रति संलग्न) :

(ii) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन पर किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

(iii) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी पत्र।(यदि लागू हों) :

(iii) अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान हेतु इकाई स्वामी का वर्ग (स्वामित्व को दर्शानें वाले दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न संलग्न करें) : महिला/अजा/अजजा या अजा/अजजा श्रेणी की महिला

(ब) अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता (नियम-9)

(i) विकसित की गई अधोसंरचना का संक्षिप्त विवरण :

(ii) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने हेतु, उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुमति/डीम्ड अनुमति संबंधी सूचना पत्र दिनांक से इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक, किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित राशि (प्रमाण पत्र संलग्न) : (राशि लाख रूपये में)

सड़क निर्माण हेतु .....

विद्युतीकरण हेतु .....

जल अधोसंरचना हेतु.....

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता(ओं) को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

<u>नोट</u>- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

परिशिष्ट-3

Chartered Accountant Certificate

I/We …….....……..... hereby certify that M/s …… have acquired following new Plant & Machinery up to commencement of commercial production date…… at their unit situated at …… for manufacturing of product (s) ……

Name of Plant & Machinery	Value
1. …….	……
2. …….	……
3. …….	……

The calculation of above-mentioned plant and machinery are linked to the Income Tax Return (ITR) of the previous year filed under the Income Tax Act, 1961.

I/We also certified that the total investment in the building (excluding land & dwelling units) of the unit is Rs.....

We have checked the books of accounts, invoices etc. of the unit and certify that the aforesaid information is found to be true. We also certify that all the payment has been made against the above-mentioned plant & Machinery and no credit is raised there against in the books of account of the unit. All the plant & machinery mentioned above is new and is in good condition.

Name…….
Signature & Seal……
Membership No. …….

Place:
Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

परिशिष्ट-4

Chartered Engineer Certificate

I have visited the plant site of M/s……..… to inspect and verify installation of plant & machinery for manufacturing of ……
This is to certify that the following plant & machinery has been installed at their unit situated at…….. All plant & machinery is commissioned and in running condition.

Description of machine

Name of Plant & Machinery	Value
1. …….	……
2. …….	……
3. …….	……
4. …….	……

- Date of installation/commissioning……..
- Date of inspection…….

This certificate is issued after inspection and verification of the machines and document. It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld.

Name…….
Signature & Seal……
Membership No. …….

Place:
Date:

Note:

1. Above details should be certified by the Chartered Engineer on his letter head only.
2. It is to be clarified that the expression "plant and machinery" of the unit, shall have the same meaning as assigned to the plant and machinery in the Income Tax Rules, 1962 framed under the Income Tax Act, 1961 and shall include all tangible assets (other than land and building, furniture and fittings).

परिशिष्ट-5

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत निर्यातक इकाई द्वारा अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत निर्यातक इकाई के लिये अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत निर्यातक इकाई के लिये अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (नियम 6.1.4) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

04. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक

05. स्वीकृत उद्योग विकास अनुदान की दिनांक व कुल राशि (आदेश की प्रति संलग्न करें) :

06. इकाई द्वारा जिस अवधि (वर्ष) हेतु अतिरिक्त अनुदान चाहा गया है, उस वर्ष में जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा निर्मित माल के विक्रय की कुल राशि (छायाप्रति संलग्न करें) :

07. इकाई द्वारा जिस अवधि (वर्ष) हेतु अतिरिक्त अनुदान चाहा गया है, उस वर्ष में इकाई द्वारा किये गये कुल निर्यात की राशि (संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-6

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाई द्वारा सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत सुविधा/सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान एवं विशेष पैकेज अंतर्गत सहायता (यदि लागू हो, तो) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01.	इकाई का नाम	:	
02.	इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील जिला	:	
03.	अ/ इकाई का प्रकार	:	प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का नाम :

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी और भवन में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) :

क्र.	मद	निवेश (रूपये में)
(i)	संयंत्र व मशीनरी	
(ii)	भवन	

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -
कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकीउन्नय न होने पर :

विवरण	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत	योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)
संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता (i) .....(उत्पाद)..... (ii) .....(उत्पाद).....			

15. वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण की जानकारी (यदि लागू हो) :

16. चाही गई सहायता का विवरण :

(अ) उद्योग विकास अनुदान (नियम 6.2)

(i) इकाई का प्रकार (खाद्य प्रसंस्करण अथवा अन्य) :

(ii) प्रथम उत्पादन वर्ष मान्य करने के संबंध में विकल्प :

(iii) प्रथम विक्रय के देयक का दिनांक (छायाप्रति संलग्न) :

(iv) क्लेम वर्ष में किया गया कुल उत्पादन मात्रा एवं मूल्य :

(v) क्लेम वर्ष में किया गया कुल विक्रय मात्रा एवं मूल्य :

(vi) पूर्व वर्षो में किया गया उत्पादन, विक्रय मात्रा एवं मूल्य (यदि आवेदन प्रथम क्लेम के पश्चात आगामी वर्षो के क्लेम हेतु है) :

(vii) क्लेम वर्ष में किया गया निर्यात मात्रा एवं मूल्य :

(viii) क्लेम वर्ष में कुल रोजगार की संख्या :

(ix) क्लेम वर्ष के पूर्व के वर्षो में प्राप्त उद्योग विकास अनुदान राशि (वर्षवार) :

(ब) विद्युत खपत सहायता (नियम-13)

(केवल खाद्य प्रसंस्करण इकाई हेतु)

(i) 'हाई टेंशन' (एचटी) कनेक्शन संयोजन का दिनांक व केवी कनेक्शन का प्रकार (33/132/220) (दस्तावेज संलग्न हैं) :

(ii) उपभोक्ता क्रमांक :

(स) मण्डी शुल्क में छूट (नियम-14)

(केवल खाद्य प्रसंस्करण इकाई हेतु)

(i) मण्डी समिति से प्राप्त प्रसंस्करण एवं क्रय-विक्रय के वैध लायसेंस का क्रमांक एवं दिनांक (मण्डी समिति से सत्यापित दस्तवेज संलग्न) :

(द) रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाई/टेक्सटाईल इकाई हेतु ब्याज अनुदान (नियम-19.1.1/20)

(i) ATUFS अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश :

(ii) ATUFS अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु स्वीकृत टर्म लोन :

(iii) ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक का नाम :

(iv) ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत दिनांक को अनुमोदित पुनर्भुगतान सारिणी :

(v) ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र एवं ड्यू डिलीजेंस :

(ई) स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति (नियम-19.1.4)
(केवल रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स विनिर्माता इकाई हेतु)

(i) औद्योगिक क्षेत्र के पट्टे पर भूमि पर प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी (रूपयें में) (छायाप्रति संलग्न) :

(ii) औद्योगिक क्षेत्र के पट्टे पर भूमि पर प्रभारित पंजीयन शुल्क (रूपयें में) (छायाप्रति संलग्न) :

(फ) विद्युत शुल्क में छूट एवं विद्युत टैरिफ में रियायत (नियम-19.1.5 व 19.1.6)
(केवल रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स विनिर्माता इकाई हेतु)

(i) 'हाई टेंशन' (एचटी) कनेक्शन संयोजन का दिनांक व केवी कनेक्शन का प्रकार (33/132/220) (दस्तावेज संलग्न हैं) :

(ii) उपभोक्ता क्रमांक :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :- **आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति**

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

<u>नोट</u>- जिस सुविधा/सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

परिशिष्ट-7

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन (यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ तक का निवेश करने वाली इकाई हेतु) का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और/या पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और/या पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01.	इकाई का नाम	:
02.	इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील जिला	:
03.	इकाई का प्रकार	: प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -

(ii) अजा -

(iii) अजजा -

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. चाही गई सहायता का विवरण

(अ) गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिये प्रतिपूर्ति (नियम-7)

[क] (i) आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें) :

(ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :

[ख] (i) जेड (ZED) प्रमाणन की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें) :

(ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) : 1. कुल व्यय
2. भारत सरकार से प्राप्त सहायता

[ग] (i) निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन (यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु) की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें) :

(ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :

(iii) इकाई द्वारा यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात प्रारंभ करने संबंधी जानकारी (संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)

[घ] (i) निर्यात के लिए डब्ल्यूएचओ जीएमपी या यू.एस.-एफ.डी.ए. प्रमाणन की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें) (फार्मास्यूटिकल इकाई हेतु लागू) :

(ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये सुविधाओं का सृजन करने में किया गया व्यय (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :

(ब) पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति (नियम-8)

(i) पेटेंट/आईपीआर का संक्षिप्त विवरण :

(ii) पेटेंट/आईपीआर प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय (व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करे) :
निर्धारित शुल्क .....
अनुसंधान एवं शोध पर व्यय .....
सलाह/सेवा पर व्यय .....

(iii) इकाई के मुख्यालय का पता :

15. बिंदु 14 में उल्लेखित सहायता अन्तर्गत पूर्व में कुल स्वीकृत राशि एवं उसका विवरण :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता(ओं) को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-
दिनांक :-
स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

<u>नोट</u>- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

परिशिष्ट-8

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन (यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली इकाई हेतु) का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति (नियम 8) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03. इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. चाही गई सहायता का विवरण

(i) पेटेंट/आईपीआर का संक्षिप्त विवरण :

(ii) पेटेंट/आईपीआर प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय (व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करे) : निर्धारित शुल्क .....
अनुसंधान एवं शोध पर व्यय .....
सलाह/सेवा पर व्यय .....

(iii) इकाई के मुख्यालय का पता :

15. बिंदु 14 में उल्लेखित सहायता अन्तर्गत पूर्व में कुल स्वीकृत राशि एवं उसका विवरण :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-
दिनांक :-
स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-9

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत परियोजना में अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता के लिये आवेदन (यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली इकाई हेतु) का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत परियोजना में अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत परियोजना में अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति या/और अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03. अ/ इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का नाम :

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति(यां) संलग्न करें) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -
कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. **परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति (नियम-9)**

(i) विकसित की गई अधोसंरचना का संक्षिप्त विवरण :

(ii) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने हेतु, उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुमति/डीम्ड अनुमति संबंधी सूचना पत्र दिनांक से इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक, किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

(राशि लाख रूपये में)
सड़क निर्माण हेतु .....
विद्युतीकरण हेतु .....
जल अधोसंरचना हेतु.....

15. **अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु सहायता (नियम 10)**

अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना में किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

<u>परिशिष्ट-10</u>

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता के लिये आवेदन (यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ तक का निवेश करने वाली इकाई हेतु) का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई(यां) स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिये सहायता (नियम 10) उपलब्ध कराने हेतु इकाई(यों) का/के विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01.	इकाई(यों) का/के नाम	:	
02.	इकाई(यों) का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील जिला	:	
03.	अ/ इकाई का प्रकार	:	प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का नाम :

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति(यां) संलग्न करें) :

06. इकाई(यों) का/के प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई(यों) का/के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. इकाई(यों) का/के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. इकाई(यों) का/के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. इकाई(यों) के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई(यों) में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -

(ii) अजा -

(iii) अजजा -

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. चाही गई सहायता का विवरण

(i) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना में किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

(ii) स्थापित किये गये अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र का संक्षिप्त विवरण, उपयोगिता सहित (प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं :

सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(iii) सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के प्रकरण में समूह गठन संबंधी दस्तावेज/एग्रीमेंट का विवरण (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-11

औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय,
मध्यप्रदेश।

विषय:- औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

मेरे/हमारे द्वारा जिला ..... (मध्यप्रदेश) में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास किया जाना प्रस्तावित है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" (नियम 11) अंतर्गत उक्त क्षेत्र की स्थापना/विकास करने की अनुमति बाबत् विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

01. ऐजेन्सी/संस्था का नाम :

02. सम्पर्क का पता :

दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता
:
दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

04. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का स्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

05. औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में)/ :
बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट
क्षेत्र (वर्ग फीट में)
(क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को प्रमाणित
करने वाले दस्तावेज की प्रति)

06. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
के भू-स्वामी/लीजधारक का नाम
(दस्तावेज संलग्न करें)

07. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में :
प्रस्तावित उद्योगों के नाम (न्यूनतम पांच)

08. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
की स्थापना/विकास में किये जाने वाले
प्रस्तावित निवेश का संक्षिप्त विवरण
(नक्शा व प्लान ले-आउट संलग्न करें)

09. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की
प्रस्तावित दिनांक
(चरणबद्ध समयसीमा संलग्न करें)

कृपया औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/विकास हेतु राज्य शासन के अन्य विभागों से अनुमतियां (आवश्यक होने पर) मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की जाएगी।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-12

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर की स्थापना हेतु सहायता बाबत् आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।	**या**	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ..., म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत्।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर की स्थापना की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत की स्थापना हेतु सहायता (नियम 11) उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. ऐजेन्सी/संस्था/विकासक का नाम :
(औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ क्लस्टर के स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करे)

02. सम्पर्क का पता :

दूरभाष
ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :

दूरभाष

ई-मेल

04. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ क्लस्टर का स्थल का पूर्ण पता :

05. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ क्लस्टर के भू-स्वामी/लीजधारक का नाम (दस्तावेज संलग्न करें) :

06. औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर का क्षेत्रफल (एकड़ में)/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र (वर्ग फीट में) (क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित) :

07. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ क्लस्टर में स्थापित उद्योगों के नाम - न्यूनतम पांच (स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न) :

08. राज्य स्तरीय साधिकार समिति/उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर को स्थापित/विकसित करने हेतु प्रदाय अनुमति की दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

09. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर को स्थापित/विकसित करने हेतु बढ़ाई गई समय सीमा का विवरण, यदि कोई हो तो (आदेश :

की प्रति संलग्न करें)

10. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ क्लस्टर की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की दिनांक :

11. चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (व्यय संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा व प्लान ले-आउट संलग्न करें) :

12. 'क्लस्टर' के प्रकरण में 'विकासक' द्वारा अविकसित भूमि के विकास हेतु दिए गए आवेदन में राज्य शासन से चाही गई राशि :

13. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ क्लस्टर विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियां (छायाप्रति संलग्न करें) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये ऐजेन्सी के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-13

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु सहायता बाबत् आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत्।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु सहायता (नियम 12) उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. ऐजेन्सी/संस्था/विकासक का नाम :
(मेगा फूड पार्क के स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करे)

02. सम्पर्क का पता :
दूरभाष
ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :
दूरभाष
ई-मेल

04. मेगा फूड पार्क का स्थल का पूर्ण पता :

05. मेगा फूड पार्क के भू-स्वामी/लीजधारक का नाम : (दस्तावेज संलग्न करें)

06. मेगा फूड पार्क का क्षेत्रफल (एकड़ में) (क्षेत्रफल : को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित)

07. मेगा फूड पार्क में स्थापित उद्योगों के नाम - : न्यूनतम दस (स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न)

08. मेगा फूड पार्क के संबंध में भारत सरकार द्वारा : द्वारा प्रदत्त स्वीकृति, मान्य परियोजना लागत, पूर्णता प्रमाण पत्र, सहायता आदि की जानकारी (छायाप्रति संलग्न करें)

09. मेगा फूड पार्क की स्थापना/विकास के पूर्ण होने : की दिनांक

10. चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा : अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (व्यय संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा व प्लान ले-आउट संलग्न करें)

11. मेगा फूड पार्क विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियां (छायाप्रति संलग्न करें) :

12. प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान की गई स्टाप ड्यूटी की राशि (भुगतान की गई स्टाप ड्यूटी को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये ऐजेन्सी के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-14

DIRECTORATE OF INDUSTRIES
MADHYA PRADESH

No.- **Bhopal, Dated .....**

Certificate of eligibility for exemption of Mandi Fee

The State Level Empowered Committee constituted as per clause 4.3 of Industrial Promotion Policy 2014 (As amended 2020), in exercise of its power under clause 14 of the *Madhya Pradesh MSME Protsahan Yojna, 2021* hereby grants exemption to **.....** , having Mandi Committee/s valid license no. **.....**, Dated **.....** , located at **.....** from payment of Mandi Fee as levied under The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 for a period of five Years commencing from **.....** and ending on **.....** or Rs. **.....,** whichever is lower, subject to the following conditions :-.

(i) The exemption shall be made available to those units which purchases agriculture produces of this state.

(ii) The processor maintains a detailed account of purchases and processing of Agricultural Produce.

(iii) The exemption will not be available to ineligible industries.

Place : Bhopal

Date : **.....**

Secretary
State Level Empowered Committee
Madhya Pradesh

Endt. No./ **Bhopal, Dated .....**

Copy forwarded to :-

1. Principal Secretary, Govt. of M.P., Farmer Welfare & Agriculture Development Deptt. Mantralaya Bhopal.

2. Managing Director, M. P. State Agriculture Marketing Board, Bhopal.

3. Manager, Krishi Upaj Mandi **.....**

4. M/s **.....**

Secretary
State Level Empowered Committee
Madhya Pradesh

परिशिष्ट-15

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए प्रतिपूर्ति (नियम 15) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03. इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -

(ii) अजा -

(iii) अजजा -

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा की गई लेखा परीक्षा की दिनांक
(लेखा परीक्षा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :

15. ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुआ व्यय
(व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करे) :

16. ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी के क्रय में हुआ व्यय (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन की छायाप्रति संलग्न करे) :

17. उक्त बिंदु 16 में उल्लेखित उपकरण एवं मशीनरी के क्रय से ऊर्जा में हुई बचत का विवरण (दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

<u>नोट</u>- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

परिशिष्ट-16

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत पॉवरलूम के उन्नयन हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

....., म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत पॉवरलूम उन्नयन के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में पॉवरलूम इकाई स्थापित की गई है और "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त उन्नयन हेतु सहायता (नियम 16) उपलब्ध कराने बाबत् पॉवरलूम इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01.	इकाई का नाम	:	
02.	इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील जिला	:	
03.	इकाई का प्रकार	:	प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति (यदि जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य हो, तो) :

06. भारत सरकार का अन्य कोई पंजीयन (यदि हो तो) का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक (नवीनतम विद्युत देयक की छायाप्रति संलग्न करें) :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त कुल रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई

निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -

(ii) अजा -

(iii) अजजा -

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. उन्नयन पूर्व पॉवरलूम का प्रकार एवं संख्या : प्लेन या सेमी ऑटोमेटिक -
कुल संख्या -

13. प्लेन/सेमी ऑटोमेटिक पॉवरलूम से आधुनिक शटललेस लूम में उन्नयन किये गये पॉवरलूम की संख्या एवं उनमें हुआ व्यय (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन संलग्न करें) :

14. भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना के तहत परिवर्तित पॉवरलूमों की संख्या, उन्नयन का प्रकार एवं प्राप्त सहायता (यदि कोई हो, तो) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना के लिये सहायता (नियम 17) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01.	इकाई का नाम	:	
02.	इकाई(यों) का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील जिला	:	
03.	अ/ इकाई का प्रकार	:	प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का नाम :

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई का विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -
(ii) अजा -
(iii) अजजा -
(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. फार्मास्यूटिकल इकाई की स्थापना हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में हुये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

15. फार्मास्यूटिकल लैब के परिप्रेक्ष्य में वांछित पंजीयन/अनुमति/प्रमाण-पत्र की जानकारी (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे) :

16. फार्मास्यूटिकल लैब की उपयोगिता :
संबंधी विवरण (दस्तावेज संलग्न करें)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-18

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान (नियम 18) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03. इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -
कुल नियमित कर्मचारी -
कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -
(i) कुल -
(ii) अजा -
(iii) अजजा -
(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन होने पर :

विवरण	**विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व**	**विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत**	**योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)**
संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता (i) .....(उत्पाद)..... (ii) ....(उत्पाद).....			

15. इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी, जो म.प्र. के स्थाई निवासी है, को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या (इकाई की उत्पादन दिनांक से प्रथम छः माह की नियमित कर्मचारियों को प्रदत्त वेतन की माहवार व नामवार सूची संलग्न करें एवं प्रदत्त वेतन एवं नियमित कर्मचारी संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज भी संलग्न करे) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट-19

Quarterly Statement for Claiming Interest Subsidy Sanctioned by M.P. State Government as Special Package for Textile Industry (Interest Subsidy on the Term Loan Disbursed by M.P. State Financial Corporation, Nationalized Bank, Other Financial Institutions) (Under Rule - 19.2 or 20)

Sl. No.	Name of the unit claiming financial Assistance	Amount of term loan sanctioned		Amount of Term Loan disbursed till the Quarter ending		Date of Production of unit	Opening Balance of Term Loan of the start of quarter (as on .....)		Rate of interest on Term Loan and interest amount during quarter			Interest Subsidy Rate	Amount of interest reimbursement required		Remarks
		Total	Eligible under ATUFS on plant and machinery	Total	Eligible under ATUFS on plant and machinery		Total	Eligible under ATUFS on plant and machinery	Rate of interest on Term loan	Interest amount during quarter or total loan	Interest amount during quarter on units' eligible loan		Till the end of last quarter	For current quarter	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**

1. The company/unit is regular in servicing its Repayment & Interest obligations, as and when due.
2. The company/unit is timely servicing its repayments as per sanction terms and abo'e does not include any kind of penal Interest.
3. The company/unit is regularly repaying Principle & Interest for all the Term, Loans (under ATUFS) availed from our Financial Institution/Bank.
4. Interest Subsidy is being claimed for Plant & Machinery eligible under ATUFS & does not include any other amount.

Seal and Signature of
Financial institution/bank

परिशिष्ट-20

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति एवं रोजगार सृजन अनुदान हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति या/एवं रोजगार सृजन अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति या/एवं रोजगार सृजन अनुदान उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01.	इकाई का नाम	:	
02.	इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील जिला	:	
03.	अ/ इकाई का प्रकार	:	प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का नाम :

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी और भवन में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) :

क्र.	मद	निवेश (रूपये में)
(i)	संयंत्र व मशीनरी	
(ii)	भवन	

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -
कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकीउन्नय न होने पर :

विवरण	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत	योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)
संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता (i) .....(उत्पाद)..... (ii) .....(उत्पाद).....			

15. वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण की जानकारी (यदि लागू हो) :

16. चाही गई सहायता का विवरण :

(अ) प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति (नियम 19.1.2)

(i) इकाई में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु विगत एक वर्ष में व्यय की गई राशि एवं वर्ष (राशि पुष्टि हेतु दस्तावेजों की छायाप्रति एवं कर्मचारियों की स्वप्रमाणित सूची, जिसमें प्रशिक्षण संस्था एवं प्रशिक्षण अवधि का उल्लेख हो, संलग्न करे) :

(ii) क्लेम वर्ष के पूर्व के वर्षो में प्राप्त प्रतिपूर्ति राशि (वर्षवार) :

(ब) रोजगार सृजन अनुदान (नियम 19.1.3)

(i) विगत एक वर्ष में नवनियुक्त कर्मचारियों की संख्या एवं वर्ष (स्वप्रमाणित सूची संलग्न करे) :

(ii) कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत :

(iii) क्लेम वर्ष के पूर्व के वर्षो में प्राप्त प्रतिपूर्ति राशि (वर्षवार) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

<u>नोट</u>- जिस सुविधा/सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

परिशिष्ट-21

"मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021" अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली बीमार इकाई द्वारा राहत एवं अनुदान के लिये आवेदन का प्रारूप (नियम 21.1)

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय)

1. इकाई का नाम _____

   इकाई के कार्यस्थल का पता _____

   इकाई का पत्राचार का पता _____

   _____

   मुख्य अधिकारी

   नाम _____

   पता _____

   _____

   दूरभाष क्र. (कार्या.)_____(नि.)_____

   ई-मेल _____

2. वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक _____

3. लघु उद्योग पंजीयन/ ईएम पार्ट-2/ _____

   यू.ए.एम. क्रमांक एवं दिनांक _____

   और जारीकर्ता प्राधिकारी

   (संबंधित दस्तावेज की सत्यापित

   छायाप्रति संलग्न करे)

4. आवेदन शुल्क '1000.00' (एक हजार रूपये मात्र), की पावती संलग्न करें :

   चालान क्रमांक _____, दिनांक _____

5. निर्मित उत्पाद एवं उनकी वार्षिक क्षमता (कृपया शिफ्ट की संख्या का उल्लेख करें)

उत्पाद का नाम : _____

वार्षिक क्षमता : _____

6. विगत तीन वर्षो में इकाई प्रदर्शन (सी.ए./ऑडिटर द्वारा सत्यापित)

	(वर्ष)	(वर्ष)	(वर्ष)
	(_____)	(_____)	(_____)

(i) उत्पादन :

(विगत तीन वर्षो में)

मात्रा :	_____	_____	_____
मूल्य :	_____	_____	_____

(ii) विक्रय :

(विगत तीन वर्षो में)

मात्रा :	_____	_____	_____
मूल्य :	_____	_____	_____

(iii) सकल लाभ/हानि _____

(iv) निवल (नेट) लाभ/हानि _____

(कटोत्रा एवं कर पश्चात)

(v) संचित हानि _____

7. बैलेंस शीट (चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट/वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)

<u>पूंजी के स्रोत</u>

प्रदत्त पूंजी _____

रिजर्व एवं सरप्लस _____

टर्म लोन _____

जमा पूंजी _____

कोई अन्य ऋण/ _____
असूरक्षित ऋण
योग _____

8. **<u>घटायें</u>**

देनदारियाँ _____
प्रावधान _____
नेट चालू अस्तियां _____
निवेश, यदि कोई हो _____
हानि _____
योग _____

9. **नेट मूल्य (worth)**

	(वर्ष) (_____)	(वर्ष) (_____)	(वर्ष) (_____)
प्रदत्त पूंजी	_____	_____	_____
रिजर्व एवं सरप्लस (पूनर्मूल्यांकन को छोड़कर)	_____	_____	_____
योग	_____	_____	_____

10. लेनदारों द्वारा क्या कोई विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है? _____
यदि हाँ, तो कृपया विवरण देवें _____
_____

11. निवेश, यदि कोई हो तो, विवरण देवें :

(अ) कंपनियों में _____

(ब) सावधि जमा _____

(स) अन्य _____

12. सांविधिक देनदारी:

(अ) वाणिज्यिक कर/वैट/जीएसटी _____

(ब) विद्युत शुल्क _____

(स) आबकारी शुल्क (आज तक) _____

(द) भविष्य निधि (आज तक) _____

(इ) ESI _____

(फ) कोई अन्य देनदारियां _____

(कृपया स्पष्ट करें)

13. (अ) यदि इकाई उत्पादनरत हो तो, कृपया _____

माहवार उत्पादन एवं विगत एक वर्ष में _____

विद्युत खपत (आखिरी विद्युत देयक की

छायाप्रति संलग्न करें)

(ब) पुनर्जीवन के लिये प्रमोटर का अंश _____

14. (अ) यदि इकाई बंद है, तो कृपया _____

बंद होने की दिनांक एवं बंद _____

होने का कारण बतायें _____

(ब) क्या विद्युत कनेक्शन विच्छेद _____

हुआ है?

(स) क्या श्रमिक/मजदूर की छटनी की गई है? _____

(द) इकाई कैसे पुनर्जीवित की जाएगी? _____
इकाई को पुनः आरंभ करने के लिये आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कहां से होगी? _____

(इ) इकाई को पुनर्जीवित करने के लिये क्या नये प्रमोटर को शामिल करने का प्रस्ताव है?, यदि हां, तो किन शर्तो पर? _____

(फ) उत्पाद के विपणन की व्यवस्था _____

15. बैंक/वित्तीय संस्था/शासन के विभागों से प्रस्तावित सहायता/राहत :

स. क्र.	**बैंक/वित्तीय संस्था/शासकीय विभाग का नाम**	**प्रस्तावित सहायता/राहत**
1.	बैंक/MPFC (वित्तीय संस्था)	_____
2.	वाणिज्यिक कर विभाग	_____
3.	म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी	_____
4.	कोई अन्य संस्था/विभाग	_____

16. पुनर्जीवन हेतु प्रस्तावित विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन का विवरण :

(i) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन में से किसके द्वारा पुनर्जीवन किया जायेंगा _____

(ii) आयटम का नाम _____

(iii) परियोजना लागत _____

(iv) पूंजी के स्रोत _____

(v) ऑयटम का पंजीयन, यदि कोई हो _____

(vi) विनिर्माण प्रक्रिया _____

(vii) कीमत सहित प्रस्तावित मशीनों का विस्तृत लिस्ट _____

(viii) उत्पादन में प्रस्तावित बढ़ोतरी एवं लाभप्रदता _____

17. पुनर्जीवन पैकेज तैयार करने वाली बैंक की शाखा का नाम व पता _____

(सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

नोट :-

आवेदन पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए लेखा परीक्षण खातों के साथ होना चाहिए। खातों के साथ लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को पूरी तरह से निपटाया और अनुपालन किया जाना है। आवेदन एक प्रस्तावित पुनर्वास योजना के साथ होना चाहिए जिसमें, बैंक/वित्तीय संस्थान के ऋण और ब्याज की पूर्ण वापसी के साथ-साथ राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर/ वैट/जीएसटी के बकाया को चुकाने की भी व्यवस्था की गई हो। इस हेतु पृथक से जानकारी/प्रस्ताव संलग्न करें।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(सील)

घोषणा

मै, _____ एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सही, पूर्ण एवं मेरे द्वारा दी गई है।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(सील)

प्राधिकृत व्यक्ति :

घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम _____

धारित पद _____

इकाई का नाम _____

कार्यालय का पता _____

_____

(सी.ए./ऑडिटर/बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित)

नोट : पूर्णतः भरा हुआ आवेदन उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, म. प्र. भोपाल में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

"मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021" अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली बीमार इकाई द्वारा स्वीकृत सहायता निरंतर रखने या/एवं बकाया राशि के ब्याज माफी की सुविधा के लिये आवेदन का प्रारूप (नियम 21.2)

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय)

1. इकाई का नाम _____

   इकाई के कार्यस्थल का पता _____

   इकाई का पत्राचार का पता _____

   _____

   इकाई स्वामी/अधिकृत अधिकारी

   नाम _____

   पता _____

   _____

   दूरभाष क्र. (कार्या.)_____(मोबाईल)_____

   ई-मेल _____

2. इकाई के प्रबंधन में परिवर्तन होने पर _____

   विक्रेता का नाम एवं पता _____

3. (अ) वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक _____

   (ब) इकाई के बंद होने की दिनांक _____

   (स) बंद होने का कारण (संक्षेप में) _____

   _____

   (द) इकाई के पुनः प्रारंभ होने की दिनांक _____

4. उद्यम क्रमांक एवं दिनांक _____
(छायाप्रति संलग्न करे)

5. विद्युत खपत (आखिरी विद्युत देयक की _____
छायाप्रति संलग्न करें)

6. क्या श्रमिक/मजदूर की छटनी की गई है? _____
यदि हाँ, तो विवरण देंवे।

7. आवेदन शुल्क '1000.00' (एक हजार रूपये मात्र), की पावती संलग्न करें :
चालान क्रमांक _____, दिनांक _____

8. निर्मित उत्पाद एवं उनकी वार्षिक क्षमता (कृपया शिफ्ट की संख्या का उल्लेख करें)
उत्पाद का नाम : _____
वार्षिक क्षमता : _____

9. विगत तीन वर्षो में इकाई प्रदर्शन (सी.ए./ऑडिटर द्वारा सत्यापित)

		(वर्ष) (_____)	(वर्ष) (_____)	(वर्ष) (_____)
(i)	उत्पादन :			
	(विगत तीन वर्षो में)			
	मात्रा :	_____	_____	_____
	मूल्य :	_____	_____	_____
(ii)	विक्रय :			
	(विगत तीन वर्षो में)			
	मात्रा :	_____	_____	_____
	मूल्य :	_____	_____	_____
(iii)	सकल लाभ/हानि	_____	_____	_____
(iv)	नेट लाभ/हानि	_____	_____	_____
	(कटोत्रा एवं कर पश्चात)			

10. बैलेंस शीट (चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट/वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)

<u>पूंजी के स्रोत</u>

प्रदत्त पूंजी _____

रिजर्व एवं सरप्लस _____

टर्म लोन _____

जमा पूंजी _____

कोई अन्य ऋण/ _____

असूरक्षित ऋण

योग _____

11. **<u>घटायें</u>**

देनदारियाँ _____

प्रावधान _____

नेट चालू अस्तियां _____

निवेश, यदि कोई हो _____

हानि _____

योग _____

12. **नेट मूल्य (worth)**

	(वर्ष)	(वर्ष)	(वर्ष)
	(_____)	(_____)	(_____)
प्रदत्त पूंजी	_____	_____	_____
रिजर्व एवं सरप्लस (पूनर्मूल्यांकन को छोड़कर)	_____	_____	_____
योग	_____	_____	_____

13. लेनदारों द्वारा क्या कोई विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है? हॉं/नहीं

यदि हॉं, तो कृपया विवरण देवें _____

_____

14. निवेश, यदि कोई हो तो, विवरण देवें :

(अ) कंपनियों में _____

(ब) सावधि जमा _____

(स) अन्य _____

15. सांविधिक देनदारी:

(अ) वाणिज्यिक कर/वैट/जीएसटी _____

(ब) विद्युत शुल्क _____

(स) आबकारी शुल्क (आवेदन तिथि तक) _____

(द) भविष्य निधि ((आवेदन तिथि तक) _____

(इ) ESI _____

(फ) कोई अन्य देनदारियां _____

(कृपया स्पष्ट करें)

16. शासन के विभागों/संस्थाओं से प्रस्तावित सहायता/राहत का संक्षेप में विवरण : _____

नोट :-

आवेदन पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए लेखा परीक्षण खातों के साथ होना चाहिए। खातों के साथ लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को पूरी तरह से निपटाया और अनुपालन किया जाना है। आवेदन एक पुनर्वास योजना के साथ होना चाहिए जिसमें,बैंक/वित्तीय संस्थान के ऋण

और ब्याज की पूर्ण वापसी के साथ-साथ राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर/वैट/जीएसटी के बकाया को चुकाने की भी व्यवस्था की गई हो। इस हेतु पृथक से जानकारी संलग्न करें।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(सील)

<u>घोषणा</u>

मै, _____ एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सही, पूर्ण एवं मेरे द्वारा दी गई है।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(सील)

प्राधिकृत व्यक्ति :

घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम _____

धारित पद _____

इकाई का नाम _____

कार्यालय का पता _____

_____

(सी.ए./ऑडिटर/बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित)

नोट : पूर्णतः भरा हुआ आवेदन उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, म. प्र. भोपाल में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

परिशिष्ट-23

.....

क्र. वित्तीय सहायता/एसएलईसी/ **भोपाल, दिनांक**

// आदेश//

राज्य स्तरीय साधिकार समिति की .....वीं बैठक दिनांक.....में निम्नलिखित इकाई/विकासक के म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 अंतर्गत अनुदान प्रकरण में निर्णय लिया गया:-

1. इकाई/विकासक का नाम व पता :

2. उत्पादन प्रारंभ करने/स्थापना का दिनांक

3. **इकाई के प्रकरण में -**

    1. नवीन इकाई है अथवा विद्यमान इकाई :
    2. यदि विद्यमान इकाई है, तो प्रकार (आधुनिकीकरण/शवलीकरण/विस्तार) :
    3. पात्रता अवधि पात्रता की देय अवधि (कब से कब तक) :
    4. क्लेम की गई सहायता राशि का वर्ष : वित्तीय वर्ष ..... हेतु
    5. यंत्र एवं संयंत्र में मान्य निवेश : रू. .....लाख

6. भवन में मान्य निवेश : रू. .....लाख
7. कुल रोजगार :
8. कुल निर्यात एवं कुल विक्रय में से निर्यात का प्रतिशत :

विकासक के प्रकरण में -

1. विकसित औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर का क्षेत्रफल :
2. विकास में किया गया कुल व्यय : रू. ..... लाख
3. स्थापित इकाईयां :

(II) इकाई/विकासक को म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 अंतर्गत निम्नानुसार सहायता(ओं)/सुपिधा(ओं) की पात्रता है :-

क्र.	सहायता/सुविधा का नाम	पात्रता अवधि	कुल सहायता राशि/सुविधा

(III) सहायता प्राप्तकर्ता इकाई/विकासक पर "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत उल्लेखित नियम एवं शर्तें बंधनकारी होंगे।

(IV) सहायता राशि का वितरण, पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने अथवा अन्य किसी कारणवश, किश्तों में किये जाने की स्थिति में, इकाई को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(V) प्रकरण में त्रुटिपूर्ण तथ्यों/जानकारी के आधार पर सहायता राशि प्राप्त करने की स्थिति में इकाई/विकासक को भुगतान की गई सहायता राशि 12 प्रतिशत ब्याज दर के साथ वापस करनी होगी। ऐसा न करने पर राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया की तरह की जायेगी।

सचिव
राज्य स्तरीय साधिकार समिति
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. वित्तीय सहायता/एसएलईसी/ **भोपाल, दिनांक**

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1/ प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2/ उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, म.प्र. चौथा तल, विन्ध्याचल भवन भोपाल।

3/ ..... की ओर सूचनार्थ।

सचिव
राज्य स्तरीय साधिकार समिति
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-24

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत दिए जाने वाला शपथ पत्र

(निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम एतद् द्वारा यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ/करते हैं कि :-

1. मेरे/हमारे द्वारा उद्योग आयुक्त/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ..... को "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक ..... में दी गई जानकारी सत्य है।

2. मैं/हम राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता/अशोधी नहीं हूँ/हैं।

3. मैं/हम यह वचन देता/देते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त उल्लेखित योजना में उल्लेखित किसी भी शर्त/प्रावधान का मेरे/हमारे द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने/वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा मैं/हम 12 प्रतिशत ब्याज दर से सुविधा/सहायता राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे।

4. मैं/हम इकाई/उन्नयन किये गये पॉवरलूमों/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र को प्रारंभ/उन्नयन दिनांक से कम से कम 4 वर्षों तक या सुविधा अवधि जो भी बाद में हो, उत्पादनरत/कार्यरत रखूँगा/रखेंगे।

5. मेरे/हमारे द्वारा इकाई हेतु मध्यप्रदेश की किसी अन्य नीति अंतर्गत अनुदान प्राप्त/ हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

6. मेरे/हमारे द्वारा इकाई हेतु भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/किये गये आवेदन (यदि कोई हों तो) की जानकारी आवेदन के साथ पृथक से संलग्न की गई है।

7. मेरी/हमारी इकाई में कुल रोजगार का न्यूनतम 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान किया जा रहा है (केवल औद्योगिक इकाई हेतु लागू)

8. औद्योगिक परिसर तक विकसित की गई अधोसंरचना आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा अच्छी गुणवत्ता की है। (यदि लागू हो तो)

9. स्थापित की गई अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र आवेदन में उल्लेखित इकाई(यों) हेतु स्थापित किया गया है तथा मानकों के अनुरूप है। (यदि लागू हो तो)

10. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर में विकसित की गई अधोसंरचना अच्छी गुणवत्ता की है तथा मानकों के अनुरूप है। (यदि लागू हो तो)

स्थान :-

दिनांक :-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :- .....

(सील)

MSME

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

मध्यप्रदेश माध्यम/2022
सुपर प्रिन्टर्स, भोपाल